अध्याय II

सहकारी बैंकिंग में गतिविधियां

प्रस्तावना

2.1 हाल के वर्षों में वैश्वीकरण, वित्तीय अविनियमन और प्रौद्योगिकी में सुधार का वित्तीय परिदृश्य पर गहरा असर पड़ा है। इन गतिविधियों से प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और उत्पाद नवीनता तथा कारोबारी रणनीतियों के माध्यम से यह वित्तीय इंजीनियरिंग में परिणत हुई है। जहां बाजार सहभागियों को अब जोखिम को विविधीकृत करने और इसका दक्षतापूर्वक प्रबंध करने का ज्यादा मौका मिला है वहीं इससे वित्तीय प्रणाली के सम्मुख नई जोखिम और चुनौतियां भी आई हैं। अलग-अलग कारोबारी लाइनों और राष्ट्रीय सीमाओं के पार वित्तीय फर्मों की वृद्धि ने उचित नीतियों के निर्माण को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। अतः वित्तीय प्रणाली में प्रणालीगत जोखिम की चुनौतियों का सामना करने के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी नीतियों का उसकी क्षमताओं के संबंध में सतत मूल्यांकन किया जाता है। पर्यवेक्षी प्राधिकारियों के समक्ष मुख्य चुनौती नवीनता लाने के प्रोत्साहन को घटाए बिना वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है।

2.2 वित्तीय क्षेत्र में बदलते परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए रिज़र्व बैंक एक स्थिर और दक्ष वित्तीय क्षेत्र के संवर्धन हेतु अपने विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे पर उचित रूप से ध्यान केंद्रित करता रहा है। रिज़र्व बैंक की हाल ही की विनियामक और पर्यवेक्षी पहल का मुख्य फोकस व्यापक रूप से अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों के अनुरूप विवेकसम्मत विनियमन और वित्तीय ढांचे पर रहा है। तथापि, वैश्विक रूप से स्पर्धी और सुदृढ़ बैंकिंग क्षेत्र पर ध्यान फोकस करते हुए रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन पर जोर दिया है जिससे कि समाज के शोषित वर्गों के लोग आसानी से बैंकिंग सेवाएं पा सकें। सुधारों का समग्र दृष्टिकोण क्रमबद्ध रहा है और सभी स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया गया है। समय-समय पर प्रारंभ किए गए सुधारात्मक उपायों ने इस वित्तीय प्रणाली को नम्यता प्रदान की है।

2.3 रिज़र्व बैंक ने 15 फरवरी 2005 को संकेत दिया था कि भारत में बैंकों को 31 मार्च 2007 से बासल II कार्यान्वयन प्रारंभ करना होगा। अतः बासल II के सुचारु अंगीकरण को सुगम बनाने के लिए वर्ष के दौरान अनेक कदम उठाए गएं। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को इस बात की अनुमति दी कि वे नई लिखतों के माध्यम से बासल II के अंतर्गत निर्दिष्ट पूंजी अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। रिज़र्व बैंक ने परिचालनीय जोखिम प्रबंध के संबंध में एक मार्गदर्शी नोट भी जारी किया। तथापि, बैंकिंग प्रणाली की तैयारी को ध्यान में रखते हुए 31 अक्तूबर 2008 को वार्षिक नीति की मध्यावधिक समीक्षा में यह घोषणा की गई थी कि विदेश में भी अपनी शाखाएं रखने वाले भारतीय बैंक और भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों को 31 मार्च 2008 से बासल II ढांचे को अपनाना अनिवार्य होगा। जबकि अन्य भारतीय बैंकों को प्रोत्साहित किया गया कि वे इन मानदंडों को 31 मार्च 2009 तक अपना लें।

2.4 आम आदमी को मौलिक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से बैंकों को प्रोत्साहन देने के लिए रिज़र्व बैंक ने अनेक उपाय किए। 2005-06 के दौरान रिज़र्व बैंक की विनियामक नीति के फोकस का दूसरा क्षेत्र ग्राहक सेवा में सुधार था।

2.5 इस अध्याय में 2005-06 (जुलाई-जून) और 2006-07 (अक्तूबर 2006 तक) के दौरान भारतीय वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र में रिज़र्व बैंक द्वारा प्रारंभ किए गए विभिन्न नीतिगत उपायों का लेखा-जोखा है। मौद्रिक नीति उपायों सहित वर्ष के दौरान तैयार किया गया मौद्रिक नीति दृष्टिकोण खंड 2 में प्रस्तुत किया गया है और खंड 3 में ऋण वितरण के क्षेत्र में प्रारंभ किए गए उपायों की समीक्षा की गई है। विवेकसम्मत विनियमन और पर्यवेक्षण के क्षेत्रों में की पहल क्रमशः खंड 4 और खंड 5 में बताई गई हैं। खंड 6 में वित्तीय बाज़ारों अर्थात मुद्रा बाजार सरकारी प्रतिभूति बाजार और विदेशी मुद्रा बाजार के क्षेत्र में नीतिगत गतिविधियों पर सविस्तार प्रकाश डाला गया है। इसके बाद खंड 7 में बैंकों द्वारा ग्राहक सेवा के क्षेत्र में प्रारंभ किए गए उपायों का लेखा-जोखा दिया गया है। खंड 8 में 'वित्तीय समावेशन' के संबंध में की गई नीतिगत पहल की सविस्तार व्याख्या की गई है। भुगतान और निपटान प्रणालियों तथा प्रौद्योगिकी विषयक गतिविधियों से संबंधित नीतिगत उपायों का क्रमशः खंड 9 और खंड 10 में खुलासा किया गया है। खंड 11 में कानूनी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रारंभ किए गए उपायों का विवरण है।

2. मौद्रिक और ऋण नीति

2.6 वर्ष के दौरान प्रारंभ किए गए मौद्रिक, संरचनागत और विवेकसम्मत उपायों का ढांचा नीतिगत वक्तव्यों में दिया गया है जिसमें अप्रैल में दिया गया वार्षिक नीति वक्तव्य, अक्तूबर/नवम्बर की मध्यावधि समीक्षा और जनवरी तथा जुलाई में की गई तिमाही समीक्षाएं शामिल हैं।

2.7 मूल्य और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए वृद्धि प्राप्त करने के समग्र लक्ष्यों के अनुरूप वर्ष के दौरान मौद्रिक प्रबंध को देशी वित्तीय बाजारों के बढ़ते परिष्करण और अतंरराष्ट्रीय बाजारों के इसके जुड़ने के परिणामस्वरूप उभरने वाली देशी और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के साथ-साथ सक्रियतापूर्वक चलना होगा। बैंकिंग क्षेत्र की समग्र गतिविधि शेष वित्तीय प्रणाली की भांति वर्ष 2005-06 के दौरान मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण में प्राथमिकताओं के जोर में हल्के-फुल्के परिवर्तनों से प्रभावित थी। समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थितियों में निहित प्रवृत्तियों में परिवर्तन से पूरे वर्ष में वृद्धि, पर्याप्त चलनिधि, मूल्य और वित्तीय स्थिरता, मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं और ब्याज दर वातावरण के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को दिए गए भारांकों को समय पर पुन:संतुलित करने की आवश्यकता पड़ी। वैश्विक आर्थिक संभावनाओं के चारों ओर घिरी अस्थिरता वर्ष 2005-06 के वार्षिक नीति वक्तव्य और उसकी तिमाही समीक्षाओं में प्रचुरता से दिखाई दी। अप्रैल 2005 के वार्षिक नीति वक्तव्य में वृद्धि पर अपेक्षाकृत जोर ने अक्तूबर 2005 की मध्यावधि समीक्षा में नीतिगत प्राथमिकताओं के क्रम में मूल्य स्थिरता पर ज्यादा ध्यान देने का मार्ग प्रशस्त किया। वित्तीय स्थिरता जनवरी की समीक्षा में एक मुख्य चिंता बनकर उभरी और 2006-07 (जुलाई 2006) के लिए मौद्रिक नीति की ठीक पहली तिमाही समीक्षा तक पॉलिसी मैट्रिक्स में एक प्राथमिकता बनी रही। तथापि अप्रैल 2006 तक वृद्धि ने पुनः श्रेष्ठता प्राप्त कर ली और नीति विषयक दृष्टिकोण में मूल्य स्थिरता के साथ इसे समान महत्व मिलने लगा (बाक्स II.1)।

2.8 अप्रैल 2005 में रिज़र्व बैंक के सामने दो प्रमुख चुनौतियां सामने आईं यथा (क) मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर लगाम लगाना ताकि वित्तीय बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित की जा सके और चल रही वृद्धि की गति को समर्थन देने के लिए वित्तपोषण की स्थितियों के उचित स्तर को बरकरार रखा जा सके, और (ख) सुदृढ़ ऋण वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में बजट किए गए सरकारी उधारों के संदर्भ में उचित चलनिधि प्रबंध। तदनुसार, वर्ष 2005-06 के वार्षिक नीति वक्तव्य में समष्टि आर्थिक और मूल्य स्थिरता तथा मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं का सीमन सुनिश्चित करते हुए प्रणाली में उचित चलनिधि बनाए रखने पर जोर दिया गया। रिज़र्व बैंक को मूल्य स्थिरता के प्रति वचनबद्धता दिखाकर मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को कम करना पड़ा। नीतिगत दर अर्थात् चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रेपो दर को 25 आधार अंक तक बढ़ाया गया जबकि रेपो दर 6.0 प्रतिशत पर बरकरार रखी गई और इस प्रकार, रिवर्स रेपो और रेपो दरों के बीच का फैलाव (स्प्रेड) घटाकर 100 आधार अंक तक किया गया। वित्तीय बाजारों ने इस मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई। पूंजी प्रवाहों के पुनः उभरने से बाजार स्थिरीकरण योजना की उच्चतम सीमा 80,000 करोड़ रुपए पर बनाए रखी गई ताकि 2005-06 में चलनिधि स्थितियों को अनुकूल रखा जा सके।

2.9 आगामी महीनों में जोखिमों का पलड़ा बढ़ते वैश्विक असंतुलनों, लगातार करेंसी अंतरेखण (मिसएलाइनमेंट), अमरीका में नीतिगत दरों के बढ़ने और तेल के ऊंचे और अस्थिर अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के साथ बाह्य क्षेत्र की ओर झुक गया। इसके अलावा चलनिधि की अधिकता (ओवरहैंग), वहनीय औद्योगिक वृद्धि और क्षमता दबावों के चलते बढ़ती ऋण वृद्धि, बढ़ते व्यापार घाटे, ढांचागत बाधाओं और देर से आए मानसून के रूप में देशी कारकों की ओर से भी दबाव थे। जून 2005 में प्रशासित तेल मूल्यों में वृद्धि के असर को दूर करने के लिए उठाए गए मौद्रिक और राजकोषीय उपायों, कायम कंपनी आमदनी और लाभों तथा मामूली मुद्रास्फीति ने जुलाई 2005 में की गई वार्षिक मौद्रिक नीति की पहली तिमाही समीक्षा में मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण को यथावत बनाए रखने की हिमायत की।

2.10 बाद की अवधि में अनेक कारकों ने मुद्रास्फीति और वृद्धि की संभावनाओं के समक्ष जोखिम खड़े कर दिए, जैसे कि ऋण की गुणवत्ता, बढ़ते आस्ति मूल्य, तेल के ऊंचे और अस्थिर अंतरराष्ट्रीय मूल्य जिसमें तेल के मूल्यों में हुई वृद्धि का एक यथेष्ट भाग स्थायी स्वरूप का माना गया, व्यापार घाटे के बढ़ते जाने और अंतरराष्ट्रीय ब्याज दरों में बढ़ोत्तरी का रुख। अक्तूबर 2005 की मध्यावधि समीक्षा ने मूल्य स्थिरता पर अपेक्षाकृत अधिक जोर देते हुए वार्षिक नीति वक्तव्य में उल्लिखित दृष्टिकोण की पुनः दोहराया। इस बात को स्वीकार करते हुए कि बिना तत्काल नीतिगत प्रतिक्रिया के मुद्रास्फीति को 5.0-5.5 प्रतिशत की सीमा में बनाए रखना कठिन होगा, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रेपो और रिवर्स रेपो की स्थिर दरों को इस मध्यावधि समीक्षा में 25 आधार अंकों तक बढ़ाया गया जबकि दरों के बीच का स्प्रेड 100 आधार अंक ही रखा गया।

2.11 आगामी तिमाही में मुद्रास्फीति प्रत्याशाएं नीतिगत अनुमानों के अनुरूप ढंग से स्थिर हुई। यद्यपि, समग्र गतिविधि में महत्वपूर्ण उछाल था लेकिन मांग आकर्षक कारक तर्कसंगत

बाक्स II.1 : अप्रैल 2005 से जुलाई 2006 के दौरान मौद्रिक नीति दृष्टिकोण

वार्षिक नीति वक्तव्य, 2005-06 (अप्रैल 2005) और पहली तिमाही समीक्षा (जुलाई 2005)

- मूल्य स्थिरता पर बराबर जोर देते हुए अर्थव्यवस्था में ऋण वृद्धि को पूरा करने के लिए उचित चलनिधि का प्रावधान और निवेश सहायता तथा अर्थव्यवस्था में निर्यात मांग।
- उपर्युक्त के अनुरूप अनुसरण करने के लिए ब्याज दर वातावरण जो समष्टि आर्थिक और मूल्य स्थिरता तथा वृद्धि की गति को बनाए रखने में सहायक हो।
- मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं की दृष्टि से उभरी परिस्थितियों की प्रतिक्रिया में सुविचारित ढंग से उपायों पर विचार करना।

वार्षिक नीति वक्तव्य, 2005-06 (अक्तूबर 2005) की मध्यावधि समीक्षा

- मूल्य स्थिरता पर जोर के अनुरूप वास्तविक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित नकदी का प्रावधान, समर्थक निर्यात और अर्थव्यवस्था में निवेश मांग।
- एक ब्याज दर वातावरण सुनिश्चित करना जो समष्टि आर्थिक और मूल्य स्थिरता के लिए सहायक हो तथा वृद्धि की गति बनाए रखना।
- मुद्रास्फीतिगत प्रत्याशाओं में स्थिरता लाने की दृष्टि से उभरती परिस्थितियों की प्रतिक्रिया स्वरूप सुविचारित और त्वरित ढंग से उपायों पर विचार करना।

वार्षिक नीति वक्तव्य, 2005-06 (जनवरी 2006) की तिमाही समीक्षा

- मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं के स्थिरण की दृष्टि से मूल्य स्थिरता पर जोर बनाए रखना।
- समष्टि आर्थिक, मूल्य और वित्तीय स्थिरता हेतु एक अनुकूल ब्याज दर वातावरण सुनिश्चित करके वृद्धि की गति बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था में निर्यात और निवेश मांग को समर्थन जारी रखना।
- गुणवत्ता पर यथेष्ट जोर के साथ अर्थव्यवस्था की वास्तविक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित चलनिधि उपलब्ध कराना।
- उभरती परिस्थितियों के प्रति जो प्रतिक्रियाएं उचित लगें उन पर विचार करना।

वार्षिक नीति वक्तव्य, 2006-07 (अप्रैल 2006)

- मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर प्रभाव डालनेवाली परिस्थितियां उभरने किसी भी संकेत के लक्षण दिखते ही सटीक और त्वरित कार्रवाई करने के लिए तैयार रहते हुए एक मौद्रिक और ब्याज दर वातावरण सुनिश्चित करना जो मूल्य स्थिरता के अनुरूप वृद्धि की गति को बनाए रखे।
- समष्टि आर्थिक और विशेष रूप से वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था में निर्यात और निवेश मांग को समर्थन देने के लिए क्रेडिट की गुणवत्ता और वित्तीय बाजार की स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करना।
- उभरती वैश्विक गतिविधियों के प्रति तेजी से प्रतिक्रिया।

वार्षिक नीति वक्तव्य 2006-07 की पहली तिमाही समीक्षा (जुलाई 2006)

- मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं के स्थिरण की दृष्टि से मूल्य स्थिरता पर जोर रखते हुए एक मौद्रिक और ब्याज दर वातावरण सुनिश्चित करना जो वृद्धि की गति जारी रखने में सहायक हो।
- समष्टि आर्थिक और विशेषरूप से वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था में निर्यात और निवेश मांग को समर्थन देने के लिए ऋण की गुणवत्ता और वित्तीय बाजार स्थितियों पर फोकस को और मजबूत बनाना।
- मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं और वृद्धि की गति पर प्रभाव डालने वाली उभरती वैश्विक और देशी परिस्थितियों के लिए जो उपाय सही लगें उन पर विचार करना।

वार्षिक नीति वक्तव्य, 2006-07 की छमाही समीक्षा (अक्तूबर 2006)

- मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं में स्थिरण लाने की दृष्टि से मूल्य स्थिरता को दृढ़ता प्रदान करते हुए मौद्रिक और ब्याज दर वातावरण सुनिश्चित करना जो अर्थव्यवस्था में निर्यात और निवेश मांग को समर्थन दे ताकि वृद्धि की गति बनी रहे।
- समष्टि आर्थिक और, विशेषकर, वित्तीय स्थिरता पर जोर बनाए रखना।
- उभरती वैश्विक और देशी स्थितियों के लिए सटीक उपायों के रूप में सभी संभव उपाय तेजी से करना।

बने रहे। अगस्त-सितंबर 2005 में क्रूड के ऊंचे मूल्यों में हुई मामूली कमी और कृषि उत्पादों के वैश्विक मूल्यों में आई नरमी ने भी आयातित मुद्रास्फीति के दबावों को घटाया। दूसरा, ऊंचे क्रूड मूल्यों के कारण बढ़ते हुए व्यापार घाटे और आयातित निविष्टियों (इनपुट) की उछाल भरी औद्योगिक मांग पूंजी प्रवाहों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित थी। रुपया नवंबर 2005 के शुरुआत और मध्य जनवरी 2006 के बीच अमरीकी डॉलर की तुलना में लगभग 2.0 प्रतिशत बढ़ा। तीसरा, रिज़र्व बैंक द्वारा उचित और नम्य चलनिधि प्रबंधन वित्तीय बाजार के भावों के अनुरूप रहा और इसने नीतिगत दृष्टिकोण के साथ-साथ मुद्रास्फीति विषयक बाजार प्रत्याशाओं को उभरने योग्य बनाया। बाजार सहभागियों की आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया में रिज़र्व बैंक ने चलनिधि प्रबंधन को और बढ़िया बनाने के लिए एक अतिरिक्त साधन के रूप में 28 नवंबर 2005 से एक द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा प्रारंभ की।

2.12 24 जनवरी 2006 की तीसरी तिमाही समीक्षा में नोट किया गया कि वृद्धि और स्थिरता की तुलना में जोखिम अधिक थे और ये बढ़ती देशी मांग, देशी मूल्यों में क्रूड के मूल्यों के अपूर्ण अंतरण (पास थ्रू) और वैश्विक गतिविधियों से उत्पन्न हो रही थीं। हाल ही की उच्च वृद्धि के लाभों को समेकित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण ने मूल्य स्थिरता बनाए रखने और मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को सीमित रखने पर जोर दिया। आगामी महीनों की गतिविधियों ने यह सिद्ध

किया कि नीतिगत प्रतिक्रिया सही थी, क्योंकि मुद्रास्फीति सीमित रही और प्रत्याशाओं में स्थिरता आई।

2.13 वर्ष 2005-06 की बाद की अवधि में मौद्रिक नीति संचालन का एक महत्वपूर्ण पहलू था, उभरती स्थिति के अनुरूप चलनिधि का अनुकूलन। 2005-06 (जनवरी-मार्च 2006) की चौथी तिमाही में चलनिधि पर जो दबाव दृष्टिगोचर हो रहे थे, वे मौसमी और इंडिया मिलेनियम डिपाजिट की चुकौती जैसे अस्थायी कारकों से उत्पन्न होने के कारण आंशिक रूप से तकलीफदेह और ऋण की मांग में पलटकर होने वाली बढ़त के साथ जुड़े होने के कारण आंशिक रूप से चक्रीय थे। मध्य जनवरी 2006 से बाजार सहभागियों द्वारा रिज़र्व बैंक से प्राथमिक चलनिधि सहायता लेने का मार्ग अपनाने का सहारा लेने ने बताया कि दो कारकों के कारण रोधी और चक्रीय चलनिधि के बीच भी कुछ चढ़ाउतार है। पहला, कुछ बाजार सहभागी ब्याज दर चक्र में होनेवाली गतिविधियों के चलनिधि संबंधी निहितार्थों के साथ-साथ इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट की चुकौती से जुड़े असर को झेलने के लिए तैयार नहीं थे। परिणामस्वरूप उन्होंने पाया कि उनके पास नकदी की कमी के साथ-साथ पात्र प्रतिभूतियां नहीं हैं जिससे वे रिज़र्व बैंक की चलनिधि सुविधाओं और तो और यहां तक कि संपार्श्विक मुद्रा बाज़ार का लाभ उठा सकें। दूसरा, ऋण संवितरणों को बनाए रखने के लिए समूची बैंकिंग प्रणाली में आहरण महत्वपूर्ण रूप से काफी ज्यादा थे। परिणामस्वरूप, निधियों के स्रोतों और उपयोगों के बीच असंतुलन बने रहे और उन्हें इस बात के लिए मजबूर होना पड़ा कि वे रातभर के आधार पर उधार लें और रोल ओवर करें और इस प्रकार ब्याज दरों और चलनिधि स्थितियों पर दबाव बचाएं।

2.14 अप्रैल 2006 में 2006-07 के लिए घोषित वार्षिक नीति वक्तव्य में उल्लेख किया गया था कि समष्टि आर्थिक गतिविधियों और वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में यह जरूरी है जोखिमों के खुलने को देखते हुए उभरती परिस्थितियों द्वारा पैदा की गई चुनौतियों का सामना करने के लिए यथायोग्य कार्रवाई करने के लिए तैयार रहें। तथापि, वैश्विक कारकों की ओर झुके जोखिमों के पलड़े के साथ देशी और वैश्विक कारकों से वृद्धि और स्थिरता के प्रति जोखिमों को पहचाना गया। क्रूड तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में और बढ़ोत्तरी और/अथवा वैश्विक असंतुलनों के विघटनकारी रूप से आगे आने के विपरीत परिणामों को भारत सहित अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्याप्त होने की संभावना के रूप में देखा गया। फिर भी वैश्विक रूप से मौद्रिक नीति के कठोर होते जाने की स्थिति में भारत चाल से बाहर जाने का जोखिम मोल नहीं ले सकता। अतः, 2006-07 के लिए मौद्रिक नीति के समग्र दृष्टिकोण में पहले की तुलना में देशी कारकों के वर्चस्व को भी दृष्टिगत रखते हुए वैश्विक कारकों को ज्यादा वज़न दिया गया है। रिज़र्व बैंक ने इस बात का संकेत दिया है कि यदि बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति कारक प्रत्याशाओं का कोई संकेत दिखाई दिया तो वह मौके पर और तेजी से कार्रवाई करेगा। यहां तक कि निर्यात और निवेश मांग और समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को समर्थन देते हुए एक महत्वपूर्ण तत्व था ऋण की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना।

2.15 वार्षिक नीति वक्तव्य की घोषणा के पश्चात विश्व में धीरे-धीरे बढ़ रही मुद्रास्फीति तथा वित्तीय बाजारों में उल्लेखनीय तथा बढ़ी हुई अस्थिरता ने देशी अर्थव्यवस्था के सम्मुख एक खतरा खड़ा कर दिया जो अब तक ऋण और विदेशी मुद्रा बाजारों में हलचल से अछूती थी। मौजूदा मौद्रिक और ऋण वातावरण के आलोक में देखी गई गतिविधियां त्वरित कार्रवाई की मजबूरियों को रेखांकित करती हैं जैसा कि वार्षिक नीति वक्तव्य में दर्शाया गया है। तदनुसार, 8 जून 2006 को चलनिधि समायोजन सुविधा की रिवर्स रिपो/ रेपो दरें 25 आधार अंकों तक बढ़ाई गईं जबकि रेपो और रिवर्स रेपो दर के बीच का स्प्रेड 100 आधार अंकों पर बनाए रखा गया।

2.16 वर्ष 2006-07 की पहली तिमाही समीक्षा में यह रेखांकित किया गया था कि मौजूदा आकलन सुदृढ़ मूल तत्वों को दर्शाने वाली और पर्याप्त नमनीयता दिखानेवाली देशी अर्थव्यवस्था की ओर संकेत करता है, वहीं मांग दबावों खासकर सतत उच्च वृद्धि के लक्षण निरंतर दिखाई दे रहे थे जो यदि आपूर्ति आघातों से जुड़ जाएं तो वे मूल्यों में वृद्धि का दबाव बना सकते हैं। इन दबावों में स्थिरता और मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को प्रभावित करने की संभावनाएं दिख रही थीं। यह नोट किया गया कि जहां देशी गतिविधियां हमारी अर्थव्यवस्था पर छाई रहीं, वैश्विक कारकों की प्रवृत्ति पहले से कहीं अधिक ध्यान खींचने की रही। वृद्धि के लिए वैश्विक परिदृश्य सकारात्मक रहा लेकिन मुद्रास्फीति से संबंधित नीचे के जोखिमों और वित्तीय बाजारों में जोखिमों के पुनर्मूल्यन को स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसलिए, यह जरूरी समझा गया कि देशी अर्थव्यवस्था की नम्यता को मजबूत बनाने और वैश्विक जोखिमों के बीच एक संतुलन रखा जाए। इस समीक्षा में यह भी नोट किया गया था कि वृद्धि की तुलना में मूल्य स्थिरता के अर्थ में पहले की अपेक्षा निकट अवधि में उत्पन्न होनेवाले जोखिमों के मूर्त रूप में बदलने की संभावनाओं के प्रति झुकाव के साथ देशी और वैश्विक दोनों कारकों के बीच नाजुक संतुलन रखा गया था। तदनुसार, वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक वक्तव्य की

पहली तिमाही समीक्षा के दृष्टिकोण में वैश्विक और देशी दोनों ही कारकों की सावधानीपूर्वक और सतत निगरानी की आवश्यकता दर्शायी गयी थी। संतुलित रूप में मौद्रिक नीति में एक मर्यादित एहतियाती कार्रवाई उचित समझी गई तथा देशी गतिविधियों की बारीकी से निगरानी करके प्रतिक्रिया के लिए लोचदार और त्वरित कार्रवाई के लिए तैयारी रखनी होगी।

2.17 31 अक्तूबर 2006 को जारी किए गए मौद्रिक नीति की मध्यावधिक समीक्षा के वक्तव्य में यह संकेत दिया गया था कि रिज़र्व बैंक प्रणाली में उचित नकदी सुनिश्चित करेगा ताकि ऋण की सभी कानूनी अपेक्षाएं खास तौर पर उत्पादक प्रयोजनों में पूरी की जा सके और ये मूल्य और नीति स्थिरता के उद्देश्य के अनुरूप हों। मौजूदा समष्टि आर्थिक और समग्र मौद्रिक इस स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत इस स्थायी रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 7.0 प्रतिशत से 7.25 प्रतिशत कर दी गई थी, जबकि रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, और सीआरआर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, रेपो और रिवर्स रेपो दर के बीच का स्प्रेड बढ़कर 125 आधार अंक हो गया। इसमें अनेक उपायों की घोषणा की गई थी : (i) आबंटनकारी दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तीय बाजारों को और विकसित करना तथा और उन्हें समन्वित करना ii) वित्तीय समावेशन की दिशा में सुधार लाना और ऋण संवितरण को बढ़ाना तथा आबादी के कम सुविधा प्राप्त वर्गों को वित्तीय सेवाओं प्रदान करना iii) बासल II मानदंडों को अपनाने के लिए बैंकों को तैयार करने की दृष्टि से उनका पूंजी आधार सुदृढ़ बनाना तथा वित्तीय क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों के अनुरूप विवेक-सम्मत उपायों का कार्यान्वयन और iv) आर्थिक वृद्धि को संवर्धित करने, वित्तीय क्षेत्र की दक्षता बढ़ाने और निवासियों द्वारा निवेशों के विविधीकरण हेतु अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक द्वारा गठित समिति (अध्यक्ष : श्री एस.एस.तारापोर) द्वारा सिफारिश की गई पूर्णतर पूंजी खाता परिवर्तनीयता के ढांचे के अंतर्गत बाह्य क्षेत्र के उदारीकरण के कदम को बनाए रखना (बॉक्स II.2)।

सांविधिक पूर्व उपाय

2.18 जून 1991 से मौद्रिक नियंत्रण के प्रत्यक्ष साधनों के प्रयोग के बजाय बाजार आधारित साधनों को अपनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। परिणामस्वरूप, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सी आर आर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एस एल आर) जैसे सांविधिक पूर्वोपायों को उल्लेखनीय तौर पर चरणबद्ध रूप से कम किया गया। एस एल आर को फरवरी 1992 में निवल मांग और मीयादी देयताओं (एन डी टी एल) के 38.5 प्रतिशत की सर्वाधिक दर से क्रमिक रूप से घटाकर अक्तूबर 1997 तक न्यूनतम 25 प्रतिशत के सांविधिक स्तर तक लाया गया। हालांकि, तब से एस एल आर का निर्दिष्ट स्तर अपरिवर्तित रहा है लेकिन बैंकों ने अपनी इच्छा से निर्दिष्ट स्तर से अधिक सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया हुआ है। 2005-06 के दौरान, ब्याज दर चक्र में ऊर्ध्वमुखी रुख और ऋण की मांग में तेजी के कारण बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों की अपनी धारिताएं काफी कम कर दीं लेकिन फिर भी ये सांविधिक न्यूनतम स्तर की तुलना में मार्च 2006 के अंत में 31.3 प्रतिशत के स्तर से अभी भी अधिक थीं। मात्रा के अर्थ में न्यूनतम एस एल आर स्तर के ऊपर धारिताएं 1,45,297 करोड़ रुपए की थीं।

2.19 सी आर आर को घटाने के अपने मध्यावधि लक्ष्य का अनुसरण करते हुए रिज़र्व बैंक ने सी आर आर को 1992 में निवल मांग और मीयादी देयताओं के 15 प्रतिशत के उच्च स्तर से क्रमिक रूप से घटाकर 2003 तक 4.5 प्रतिशत कर दिया। तथापि, मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए सी आर आर 18 सितंबर 2004 से 25 आधार अंक प्रत्येक के दो चरणों में एन डी टी एल के एक प्रतिशत अंक के आधे तक बढ़ाकर 4.75 प्रतिशत और 2 अक्तूबर 2004 से और बढ़ाकर 5.0 प्रतिशत कर दिया गया और तब से सी आर आर अपरिवर्तित है। तथापि, जून 2006 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 में किए गए हाल ही के संशोधन स्वरूप अनुसूचित बैंकों के लिए बिना किसी न्यूनतम दर या उच्चतम दर के सीआरआर निर्दिष्ट करने की शक्तियां रिज़र्व बैंक में निहित हैं। एक बार यह अधिनियम पारित होने पर रिज़र्व बैंक सीआरआर के किसी भी भाग पर ब्याज नहीं दे सकता। (देखें बॉक्स II.28, खंड 11)।

ब्याज दर संरचना

2.20 मौद्रिक नीति परिचालनों के बाजारोन्मुखी होते जाने और मौद्रिक नियंत्रण के अप्रत्यक्ष साधनों पर बढ़ती निर्भरता के अनुरूप 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में रिज़र्व बैंक द्वारा प्रारंभ किए गए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में ब्याज दर संरचना को तर्कसंगत और उत्तम बनाना रहा है। ब्याज दरों के अविनियमन ने मौद्रिक नीति की प्रेषण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के अलावा कुशल मूल्य निर्धारण के माध्यम से वित्तीय प्रणाली की स्पर्धात्मकता बढ़ाने और संसाधन आबंटन प्रक्रिया सुधारने में मदद की है। सभी ब्याज दरों को अविनियमित कर दिया गया है सिवाय (i) बचत जमा खाते, (ii) अनिवासी भारतीय (एन आर आइ) खाते, (iii) 2 लाख रुपए तक के छोटे ऋण और (iv) निर्यात ऋण के।

बॉक्स II.2 : वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति की मध्यावधि समीक्षा में की गई प्रमुख नीतिगत घोषणाएं

1. मौद्रिक उपाय

- बैंक दर 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी गई ।
- चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो दर 31 अक्तूबर 2006 से 25 आधार अंक बढ़ाकर 7.0 प्रतिशत से 7.25 प्रतिशत की गई । रिवर्स रेपो दर को 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया।
- नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) 5.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया।

2. सरकारी प्रतिभूति बाजार

- केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के नए निर्गमों के मामलों में चुनिंदा आधार पर 'जब जारी' ट्रेडिंग अनुमति दी जाएगी।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में अपनी खरीद से अधिक बिक्री (शॉर्ट पोजिशन) को बढ़ी हुई 5 दिन की ट्रेडिंग अवधि के भीतर कवर करने और अधिक बेची गई (शॉर्टेड) प्रतिभूति को रेपो बाजार के माध्यम से उधार लेकर सुपुर्द करने की अनुमति है।

3. विदेशी मुद्रा बाजार

- निवासी व्यक्तियों को किसी भी चालू खाता या पूंजी खाता लेन देन अथवा दोनों के योग के लिए प्रति वित्तीय वर्ष 50,000 अमरीकी डॉलर विप्रेषित करने की अनुमति है जबकि पहले यह सीमा 25,000 अमरीकी डॉलर थी।
- संतोषजनक कार्य-निष्पादन का रिकार्ड रखने वाले बड़े टर्न की / परियोजना निर्यातकों / सेवा निर्यातकों को किसी भी देश में निधियों /मशीनरी की अंतर-परियोजना अंतरणीयता के साथ विदेशी मुद्रा खाता परिचालित करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते वह निर्दिष्ट रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का पालन करें।
- संतोषजनक कार्य-निष्पादन का रिकार्ड रखने वाले बड़े टर्न की / परियोजना निर्यातकों / सेवा निर्यातकों को अपने अस्थायी नकदी अधिशेष अल्पावधिक बैंक जमाराशियों में अथवा एएए रेटेड अल्पावधि प्रतिभूति (पेपर) में विदेश में विनियोजित करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते प्राधिकृत व्यापारी बैंक/बैंकों द्वारा उसकी निगरानी की जाए।
- प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना 300 मिलियन अमरीकी डॉलर (पूर्व में यह सीमा 200 मिलियन अमरीकी डॉलर थी) तक के बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) की समयपूर्व चुकौती की अनुमति दी जाएगी बशर्ते इस ऋण पर लागू निर्दिष्ट न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि का पालन किया गया हो।
- प्राधिकृत व्यापारी बैंक अपने ग्राहकों की ओर से प्रारंभिक खर्चों के लिए पिछले दो वित्तीय वर्षों की औसत वार्षिक बिक्री / आय या कुल कारोबार के 15 प्रतिशत तक अथवा उनकी निवल संपत्ति के 25 प्रतिशत तक, इनमें से जो भी अधिक हो, की राशि के विप्रेषणों की अनुमति दे सकते हैं और आवर्ती खर्चों के लिए पिछले दो वित्तीय वर्षों की औसत वार्षिक बिक्री /आय या कुल कारोबार के 10 प्रतिशत तक विप्रेषणों की अनुमति दे सकते हैं। वे इन सीमाओं के भीतर विदेश स्थित कार्यालय के लिए अचल संपत्ति अभिग्रहीत करने के लिए भी प्रेषणों की अनुमति दे सकते हैं।
- विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश पर लागू 2 बिलियन अमरीकी डॉलर की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2006 तक 2.6 बिलियन अमरीकी डॉलर तथा 31 मार्च 2007 तक इसे और बढ़ाकर 3.2 बिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया जाएगा।
- म्युचुअल फंडों द्वारा विदेशी निवेश की 2 बिलियन अमरीकी डॉलर की वर्तमान सीमा बढ़ाकर 3 बिलियन अमरीकी डॉलर कर दी गयी है।
- प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को ऐसे मामलों में 100,000 अमरीकी डॉलर तक की सेवाओं के आयात के लिए गारंटी / साख पत्र जारी करने की अनुमति दी गई है जहां गारंटी एक निवासी और एक अनिवासी के बीच की गई संविदा के कारण उत्पन्न होनेवाली प्रत्यक्ष संविदागत देयता को रक्षित प्रदान करने के लिए हो।
- एनआरओ खाते में अचल संपत्ति की बिक्री आय जमा करने संबंधी अवरुद्ध (लॉक-इन) अवधि समाप्त की गई बशर्ते किसी वित्तीय वर्ष में विप्रेषित की जानेवाली राशि एक मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक न हो।

4. ऋण संवितरण व्यवस्था

- माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमी विकास अधिनियम, 2006 की अधिसूचना के अनुरूप प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के प्रयोजन हेतु सेवाएं प्रदान करने वाले लघु उद्योग तथा माइक्रो एवं लघु उद्यम की परिभाषा संशोधित की गई ।
- बैंक अपने बोर्ड के अनुमोदन से उन किसानों को एकमुश्त निपटान सुविधा प्रदान करने के लिए पारदर्शी नीति तैयार करें जिनके खातों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण पुनःनिर्धारित / पुनःसंरचित किया गया है और ऐसे किसानों के लिए भी जिन्होंने अपने वश के बाहर वाली परिस्थितियों के कारण चूक की हो।

5. विवेकसम्मत उपाय

- भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों और भारत के बाहर उपस्थिति वाले भारतीय बैंकों को 31 मार्च 2008 से बासेल II के अंतर्गत ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण और परिचालनगत जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण अंगीकृत करने की अनुमति है। इन बैंकों के साथ-साथ अन्य सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को बासेल II के अंतर्गत इन दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है किंतु यह किसी भी हालत में 31 मार्च 2009 से पहले होना चाहिए।
- बैंकों द्वारा विदेश में भारतीय संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी संस्थाओं को दी जाने वाली ऋण और ऋणेतर सुविधाओं पर विवेकपूर्ण सीमा को अक्षत पूंजी निधियों (टियर I और टियर II पूंजी) के वर्तमान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक किया गया।

6. वित्तीय समावेशन

- छोटे खाते खोलने के लिए बैंकों को खाताधारक का केवल एक फोटो और स्वप्रमाणित पता मांगने की जरूरत है।
- इन खातों में किसी भी समय बकाया राशि 50,000 रुपए तक सीमित रहेगी और कुल लेनदेनों की सीमा एक वर्ष में 2,00,000 रुपए तक सीमित होगी।

7. भुगतान और निपटान प्रणाली

- बैंकों से अनुरोध किया गया कि वे अपनी सूचना प्रौद्योगिकी आधारित पहलों का बेहतर समन्वय करें ताकि अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय समावेशन हासिल करने का उद्देश्य पूरा करना सुनिश्चित किया जा सके।

8. शहरी सहकारी बैंक

- राज्यों में पंजीकृत शहरी सहकारी बैंक जिन्होंने रिज़र्व बैंक के साथ सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और वे जो बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत हैं, उन्हें अनुमति दी गई कि वे अपने विस्तार पटलों को पूर्ण शाखाओं में परिवर्तित कर सकें।
- रिज़र्व बैंक उन राज्यों के लिए जिन्होंने सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, में शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में राज्यों में गठित कार्यदलों के समक्ष विचारार्थ एक आदर्श निष्पक्ष व्यवहार संहिता का ड्राफ्ट चर्चा और अंगीकरण हेतु रखेगा।

9. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बिना जोखिम का साझा किए बैंकों के साथ मिलकर को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने और पारस्परिक निधियों के एजेंटों के रूप में पारस्परिक निधि उत्पादों को वितरित करने की अनुमति दी गई।
- वित्तीय स्थावर /भौतिक संपदा गतिविधियों में लगी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो ऑटोमोबाइल जैसी आर्थिक गतिविधि तथा सामान्य प्रयोजन हेतु औद्योगिक तंत्र को समर्थन प्रदान करती हैं, उन्हें आस्ति वित्तपोषक कंपनियों के रूप में पुनःसमूहित किया जाएगा।

10. वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन संबंधी समिति

- वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता और विकास का एक स्वमूल्यांकन प्रारंभ करेगी।

बैंक दर और रेपो / रिवर्स रेपो दर

2.21 मौद्रिक नीति का दृष्टिकोण बताने वाली संकेतक व्यवस्था के रूप में बैंक दर को अप्रैल 1997 में पुनः सक्रिय कर दिया गया। रिज़र्व बैंक की विभिन्न स्थायी सुविधाओं की दरों को बैंक दर से जोड़ दिया गया। बैंक दर ने मध्यावधि में एक संकेतक दर के रूप में बहुत बढ़िया काम किया।

2.22 तथापि, हाल ही की अवधि में अल्पावधि चलनिधि समायोजन एल ए एफ के अंतर्गत रेपो / रिवर्स रेपो दरों के माध्यम से किया जा रहा है। यह चलनिधि समायोजन सुविधा (एल ए एफ) एक नवंबर 2004 से रातभर के लिए रेपो और रिवर्स रेपो की स्थायी दर के माध्यम से संचालित की जा रही है। बदलते समष्टि आर्थिक और समग्र मौद्रिक स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में रिवर्स रेपो और रेपो दरें संशोधित की गई थीं जैसा कि सारणी II.1 में दर्शाया गया है।

जमा दरें

2.23 बचत बैंक खातों को छोड़कर देशी मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें अक्तूबर 1977 से अविनियमित कर दी गई हैं। बैंक अब अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर जमाराशियों पर अपनी ब्याज दरें तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। बैंकों को विभिन्न अनिवासी जमाराशियों पर ब्याज दरें तय करने की स्वतंत्रता भी दी गई है, बशर्ते कि यह रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट उच्चतम सीमा के भीतर हों। बैंकों को 15 लाख रुपए और उससे अधिक की थोक देशी मीयादी जमाराशियों पर ब्याज की विभेदक दरें तय करने की भी अनुमति दी गई थी अर्थात् थोक देशी मीयादी जमाराशियों पर प्रस्तावित ब्याज दरें खुदरा देशी मीयादी जमाराशियों पर प्रस्तावित दरों से भिन्न हो सकती हैं।

2.24 बचत बैंक जमाराशियों पर ब्याज दर रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है और वर्तमान में यह 3.5 प्रतिशत वार्षिक निर्दिष्ट की गई है। भारतीय बैंक संघ से प्राप्त सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार करने सहित मौजूदा मौद्रिक और ब्याज दर स्थितियों की समीक्षा के आधार पर 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में यह माना गया कि यथा स्थिति बनाए रखना उचित होगा और यह स्वीकार किया गया कि दीर्घावधि में उत्पाद नवोन्मेष और मूल्य निर्धारण के लिए बचत बैंक जमा की दर का अविनियमन जरूरी है।

सारणी II.1 : रेपो और रिवर्स रेपो दर
(अप्रैल 2005 से)

(प्रतिशत)

	प्रभावी दिनांक	रेपो दर	रिवर्स रेपो दर
1	2	3	4
1.	29 अप्रैल 2005	6.00	5.00
2.	26 अक्तूबर 2005	6.25	5.25
3.	24 जनवरी 2006	6.50	5.50
4.	09 जून 2006	6.75	5.75
5.	25 जुलाई 2006	7.00	6.00
6.	31 अक्तूबर 2006	7.25	6.00

2.25 अनिवासी बाह्य रुपया जमाराशियों (एन आर ई) और विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) (एफ सी एन आर (बी)) जमाराशियों पर ब्याज, दरों की उच्चतम सीमा लिबोर / स्वैप दरों से संबद्ध हैं और मौद्रिक तथा समष्टि आर्थिक गतिविधियों के आधार पर उनकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। अंतरराष्ट्रीय ब्याज दरों में बढ़ोत्तरी तथा देशी विदेशी मुद्रा बाजार में वायदा प्रीमियम के मजबूत होते जाने की प्रतिक्रिया में एन आर ई जमाराशियों पर विभेदक ब्याज दरें धीरे-धीरे अनाकर्षक हो गईं। तदनुसार, एक से तीन वर्ष की परिपक्वता के लिए एन आर ई जमाराशियों पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा नवंबर 2005 में बढ़ाई गई थी और इसे फिर से अप्रैल 2006 में बढ़ाया गया। संबंधित मुद्रा / परिपक्वता के लिए एफ सी एन आर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा 28 मार्च 2006 को बढ़ाई गई थी (सारणी II.2)।

2.26 26 जुलाई 2005 को बैंकों को अनुमति दी गई थी कि वे अधिकतम 5 वर्ष तक की परिपक्वता अवधिवाली चार करेंसियों यथा अमरीकी डालर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो और येन में मूल्यवर्गित जमाराशियों के अलावा कनाडियन और आस्ट्रेलियन डॉलर में मूल्यवर्गित जमाराशियां स्वीकार कर सकते हैं। फरवरी 2006 में बैंकों को सूचित किया गया था कि भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) लिबोर / स्वैप दरें कोट / प्रदर्शित करेगा जिसका अनिवासी भारतीय जमाराशियों पर ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाएगा ताकि एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। फेडाई प्रत्येक महीने के अंतिम कार्यदिवस को चल रही छह करेंसियों में पांच परिपक्वताओं के लिए जमा दरें प्रकाशित करता है।

सारणी II.2 : एन आर ई / एफ सी एन आर (बी) जमाराशियों के लिए निर्दिष्ट की गई उच्चतम ब्याज दर

	पुरानी उच्चतम सीमा	संशोधित उच्चतम सीमा
1	2	3
एन आर ई जमा राशियां	लिबोर / स्वैप दरों के साथ 75 आधार अंक (17 नवंबर 2005 को कारोबार की समाप्ति पर)	लिबोर /स्वैप दरों केसाथ 100 आधार अंक (18 अप्रैल 2006 को कारोबार की समाप्ति पर)
एफसीएनआर (बी) जमाराशियां	लिबोर / स्वैप रेट में 25 आधार अंक घटाकर (29 अप्रैल 2002 को कारोबार समाप्ति पर)	लिबोर / स्वैप दरों की उच्चतम सीमा के भीतर (28 मार्च 2006 को कारोबार की समाप्ति पर)

टिप्पणी : कोष्ठक में दी गई तारीखें दरों में परिवर्तन की प्रभावी तारीखें हैं।

उधार दरें

2.27 अक्तूबर 1994 से शुरू करके उधार दरें धीरे-धीरे अविनियमित की गईं। मौजूदा समय में विनयिमित उधार दरें निर्यात और 2 लाख रुपए तक के छोटे ऋणों जैसे कतिपय क्षेत्रों हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई रियायती दरें (उच्चतम दर की तुलना में संबंधित बैंक की बेंचमार्क मूल उधार दर से कम) हैं।

2.28 यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि भारतीय निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी शर्तों पर बैंक ऋण मिल सके जिससे कि निर्यात संवर्धन को समर्थन दिया जा सके, निर्यात ऋण योजना सतत समीक्षाधीन रही है। इस संदर्भ में, निर्यात ऋण समीक्षक कार्यदल (अध्यक्ष : श्री आनंद सिन्हा) ने मई 2005 में सिफारिश की कि विदेशी मुद्रा में दिए जाने वाले निर्यात ऋण के संबंध में ब्याज दरें 25 आधार अंक तक बढ़ा दी जाएं अर्थात् पहले स्लैब के लिए लिबोर + 100 आधार अंक और दूसरे स्लैब के लिए अतिरिक्त 200 आधार अंक प्रतिशत, बशर्ते कि बैंक द्वारा किए गए छिटपुट खर्चे वसूल करने के सिवाय बैंक किसी भी नाम से, जैसे कि सेवा प्रभार, प्रबंधन प्रभार, नाम से अन्य प्रभ ार नहीं वसूल करेंगे। तदनुसार, विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा 18 अप्रैल 2006 से 25 आधार अंक बढ़ा दी गई। इसी प्रकार, जहां यूरो लिबोर / यूरी लिबोर को बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया गया है वहां ब्याज दरों में इसी प्रकार के परिवर्तन किए गए हैं।

2.29 मौजूदा समय में रिज़र्व बैंक 180 दिन तक के पोतलदानपूर्व रुपया निर्यात ऋण और 90 दिन तक के लिए पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर दरों की उच्चतम सीमा घोषित करता है जो बेंचमार्क मूल उधार दर (बी पी एल आर) से संबद्ध रहती है। 180 दिन तक के पोतलदानपूर्व रुपया निर्यात ऋण और 90 दिन तक के पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा से बेंचमार्क मूल उधार दर के नीचे 250 आधर अंक की कमी करने की वैधता 31 अक्तूबर 2006 तक बढ़ा दी गई थी।

2.30 उचित दर पर ऋण प्राप्त करने में किसानों की सहायता करने के उद्देश्य से 2006-07 के केंद्रीय बजट में यह प्रावधान प्रस्तावित किया गया था कि वर्ष 2006-07 से किसानों को 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि ऋण 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर उपलब्ध कराए जाएं और सरकार इस बात पर सहमत हुई थी कि वह सहकारी बैंकों को उचित रूप से बजटीय संसाधन उलब्ध कराएगी।

3. ऋण वितरण

2.31 बैंकिंग क्षेत्र के समक्ष महत्त्वपूर्ण मुद्दा है, अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक क्षेत्रों को ऋण का प्रवाह। अतः रिज़र्व बैंक का यह प्रयास है कि बैंकों के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करें ताकि वे सभी उत्पादक क्षेत्रों को उचित लागत पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराएं। क्षेत्रीय ऋण आबंटन, विशेषकर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने पर सामान्य फोकस बनाए रखते हुए रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान ऋण वितरण व्यवस्था सुधारने के अनेक उपाय किए। वर्ष के दौरान आयी प्राकृतिक आपदाओं के असर को कम करने के लिए रिज़र्व बैंक ने भी अनेक राहत उपाय किए। जम्मू और कश्मीर में व्यापार और उद्योग को ऋण प्रवाह सुधारने के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गईं। विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के मानदंडों का और अनुकूलन किया गया, छोटे और सीमांत उधारों के लिए ऋण वितरण चैनलों में सुधार किए गए, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के भीतर और चैनल जोड़े गए तथा अनर्जक आस्तियों का हल निकालने के लिए सरल मानदंड बनाए गए। कृषि क्षेत्र को ऋण का प्रवाह बेहतर बनाने के लिए बैंकिंग प्रणाली से कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण का प्रवाह पर परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों (अध्यक्ष :प्रो. वी.एस. व्यास) और 2006-07 के केंद्रीय बजट में घोषित उपायों के अनुरूप एक अनुवर्ती कार्रवाई की गई। छोटे और मझोले उद्यमों (एस एम ई) को ऋण की मात्रा में वृद्धि करने के संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के बाद छोटे और मझोले उद्यमों के लिए एक ऋण पुनर्संरचना व्यवस्था तथा एस एम ई खातों के लिए एक बारगी निपटान योजना तैयार की गई।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार [1]

2.32 देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए निवल बैंक ऋण के 40 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य के भीतर कृषि और कमजोर तबके को उधार देने के लिए निवल बैंक ऋण के क्रमशः 18 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के उप लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए निवल बैंक ऋण के 32 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से लघु उद्योग क्षेत्र को

[1] प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार में कृषि (प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों) लघु उद्योग, सड़क और जल परिवहन करने वाले छोटे आपरेटर, लघु कारोबार, खुदरा व्यापार, व्यावसायिक तथा स्व-नियोजित व्यक्ति, अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए राज्य द्वारा प्रयोजित संगठन, शिक्षा, आवासन (प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों), उपभोग ऋण, लघु ऋण (माइक्रो क्रेडिट), सॉफ्टवेयर तथा खाद्य और कृषि-संसाधन क्षेत्र को दिए जानेवाले ऋणों का समावेश है।

दिया जाना वाला सकल ऋण निवल बैंक ऋण के 10 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए तथा निर्यात क्षेत्र को दिया जानेवाला सकल ऋण निवल बैंक ऋण के 12 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

2.33 समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप बैंक ऋण को ढालने और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण का प्रवाह बढ़ाने के लिए 2005-06 में निम्नलिखित नीतिगत कदम उठाए गए थे :

(i) बैंकों को सूचित किया गया था कि 1 जुलाई 2005 को या उसके बाद जोखिम पूंजी में उनके द्वारा किए गए नए निवेश प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधारों के अंतर्गत वर्गीकरण हेतु पात्र नहीं होंगे। 30 जून 2005 तक पहले ही किए जा चुके निवेश 1 अप्रैल 2006 से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधारों के अंतर्गत वर्गीकरण हेतु पात्र नहीं होंगे।

(ii) छोटे और मध्यम उद्यमों के ऋण बढ़ाने के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत बैंकों को जारी किए गए।

(iii) एस एम ई खातों के लिए 10 करोड़ रुपए से कम की अनर्जक आस्तियों की वसूली हेतु एक एकबारगी निपटान योजना कार्यान्वयन हेतु सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सूचित की गई।

(iv) बैंकों को सूचित किया गया था कि वे सभी पात्र छोटे और मझौले उद्यमों के ऋणों की पुनर्संरचना उन शर्तों पर करना सुनिश्चित करें जो कम से कम बैंकिंग क्षेत्र में कंपनी ऋण पुनर्संरचना व्यवस्था के समान ही अनुकूल हों।

(v) बैंकों में अपने अनर्जक आस्ति खातों का निपटारा करने और नए ऋणों के लिए पात्र होने के लिए छोटे उधारकर्ताओं को अवसर देने के उद्देश्य से बैंकों को दिसंबर 2005 में सूचित किया गया था कि जहां मूलधन की राशि 25,000 रुपए के बराबर था उससे कम है और 30 सितंबर 2005 को 'संदिग्ध या हानि आस्तियां' बन गई है, उन ऋणों के एक बारगी निपटान के लिए एक सरल व्यवस्था उपलब्ध कराएं। यदि ऋण सरकार प्रायोजित योजनाओं के अधीन दिए गए हों तो बैंकों से कहा गया था कि वे राज्य स्तरीय बैंकर समिति द्वारा तैयार किए गए राज्य-विशेष दृष्टिकोण के अनुसार अलग मार्गदर्शी सिद्धांत बनाएं।

(vi) दिसंबर 2005 में बैंकों को अनुमति दी गई थी कि वे जमानत और प्रयोजन अथवा उस ऋण के अंतिम उपयोग पर किसी भी प्रकार का जोर दिए बिना अपने ग्राहक की आय और घरेलू निधि प्रवाह के आधार पर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के अपने ग्राहकों को सामान्य क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए एक सामान्य क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ कर सकते हैं। सामान्य क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए उधारकर्ता जुटाने के लिए वे स्थानीय डाकघरों, विद्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, स्थानीय सरकारी कर्मचारियों, कृषक संघों / क्लबों, सुस्थापित समुदाय आधारित एजेंसियों और नागरिक सामाजिक संगठनों की सेवाएं ले सकते हैं। इस योजना के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए सामान्य क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत सामान्य प्रयोजनों हेतु ऋण के अधीन बकाया ऋण का पचास प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के भीतर कृषि के अप्रत्यक्ष वित्त के रूप में वर्गीकरण हेतु पात्र बनाया गया।

(vii) बैंकों को सूचित किया गया था कि स्टेप डाउन प्वाइंट से अलग-अलग किसानों को उनके नलकूपों को बिजली देने के लिए उपलब्ध कराए गए लो टेंशन कनेक्शन के लिए पहले ही किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य विद्युत बोर्डों के द्विभाजन/ पुनर्संरचना से बने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कार्पोरेशनों /कंपनियों को दिए गए ऋण, कृषि को दिए गए अप्रत्यक्ष वित्त के रूप में वर्गीकृत किए जाने के भी पात्र होंगे।

कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण

2.34 तीन वर्ष में कृषि को ऋण का प्रवाह दुगुना करने के लिए जून 2004 में केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणाओं के अनुरूप केंद्रीय बजट, 2005-06 में वर्ष के दौरान कृषि को ऋण का प्रवाह 30 प्रतिशत तक बढ़ाना प्रस्तावित है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने कृषि को ऋण का प्रवाह बढ़ाने के अनेक उपाय किए। वर्ष 2004-05 के लिए कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले 1,05,000 करोड़ रुपए के ऋण के लक्ष्य की तुलना में बैंकों (सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) ने 1,15,243 करोड़ रुपए संवितरित किए जो 2003-04 के दौरान वास्तव में वितरित किए गए 86,981 करोड़ रुपए की तुलना में 32.2 प्रतिशत अधिक हैं। वर्ष 2005-06 के लिए बैंकों से कहा गया था कि कृषि को ऋण का प्रवाह बढ़ाकर 1,42,000 करोड़ रुपए करें। इस लक्ष्य के सामने वर्ष 2005-06 के दौरान सभी बैंकों का ऋण वितरण 1,57,480 करोड़ रुपए था, अर्थात् विगत वर्ष के दौरान किए गए ऋण वितरण की तुलना में 37.0 प्रतिशत की वृद्धि।

2.35 कृषि ऋण से संबंधित समस्याओं की जांच के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा गठित बैंकिंग प्रणाली से कृषि और संबद्ध गतिविधियों को ऋण का प्रवाह संबंधी परामर्शदात्री समिति (अध्यक्ष: प्रो.वी.एस.व्यास) की अधिकांश सिफारिशें रिज़र्व बैंक और नाबार्ड द्वारा कार्यान्वित की जा चुकी हैं (बॉक्स II.3)।

बाक्स II.3: बैंकिंग प्रणाली से कृषि और संबद्ध गतिविधियों को ऋण का प्रवाह संबंधी परामर्शदात्री समिति - प्रस्थिति रिपोर्ट

बैंकिंग प्रणाली से कृषि और संबद्ध गतिविधियों को ऋण का प्रवाह संबंधी परामर्शदात्री समिति (अध्यक्ष : प्रो. वी.एस.व्यास) ने 99 सिफारिशें की थीं। इनमें से 31 सिफारिशें रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकार की गई थीं और कार्यान्वयन हेतु बैंकों को सूचित की गई थीं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ आगे दी गई बातों का समावेश था : (i) 50,000 रुपए तक के कृषि ऋणों पर और कृषि क्लीनिकों के मामलों में 5 लाख रुपए तक के ऋणों पर मार्जिन/जमानत की अपेक्षाएं छोड़ देना; (ii) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत स्थान निरपेक्ष भंडारण सुविधाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराना; (iii) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कृषि में प्रत्याभूत आस्तियों में बैंकों द्वारा किए गए निवेश को शामिल करना; (iv) कृषीय वित्त के लिए अनर्जक आस्ति मानदंडों को संशोधित करना; (v) सरकार प्रायोजित योजनाओं को छोड़कर सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण को समाप्त करना; (vi) बैंकों की प्रणालियों और पद्धतियों की समीक्षा करना ताकि उधारकर्ताओं के लिए उधार लेना लागत प्रभावी होने के साथ-साथ बचत परिहार्य व्यय बनाया जा सके; (vii) स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और संयुक्त दायित्व समूहों (जेएलजी) जैसे मौखिक पट्टाधारियों के लिए वित्तपोषक माडलों की खोज करना; (viii) परती भूमि/जलग्रहण क्षेत्र के विकास और संसाधन समर्थन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से दीर्घावधि योजनाएं तैयार करना; प्रधान/नियंत्रक कार्यालयों में तकनीकी स्टाफ तैनात करना और कृषीय उधारों के संबंध में बैंकरों की मनोवृत्ति बदलना; (x) बैंकों द्वारा सीधी बिक्री एजेंटों की नियुक्ति, बशर्ते कि इसके मार्गदर्शी सिद्धांत उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित हों; (xi) सामान्य शाखाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना; (xii) सदस्यों के रूप में बैंकों की सेवाओं के उपयोगकर्ताओं वाली शाखा /शाखा समूहों के लिए स्थानीय परामर्शदात्री समितियां गठित करना और (xiii) *आनावारी* प्रणाली के अभाव में ऋणों की पुनर्संरचना।

समिति की सिफारिशों में से चार सिफारिशें रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकार नहीं की गई थीं। ये सिफारिशें थीं : i) कृषि क्षेत्र को प्रत्यक्ष उधार, जिसमें उत्पादन और निवेश दोनों ही प्रकार के ऋण शामिल हैं, देने की विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) के फ्रेमवर्क को सीमित करना, जबकि बैंक कृषि को अप्रत्यक्ष ऋण देने की अपनी अलग समीक्षा व्यवस्था रख सकते हैं ; (ii) कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋणों हेतु ऋण को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करने के लिए 180 दिन के चूक का पुराना मानदंड बनाए रखना; (iii) जब किसान ने उत्पादन और निवेश दोनों ही ऋण लिए हों तो बकाया पर विचार न करते हुए केवल चूक वाले खातों पर ही विचार करना और (iv) नाबार्ड द्वारा समस्त ग्रामीण ऋण स्थिति की पूर्ण निगरानी।

नाबार्ड द्वारा 43 अन्य सिफारिशों पर कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है। इनमें मुख्यतः शामिल हैं : (i) कृषि की कायापलट में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी वाली संभावनाओं की जांच-पड़ताल करने के लिए बैंक और सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ कृषि विश्वविद्यालयों से विशेषज्ञों को लेकर एक कोर ग्रुप गठित करना; (ii) लेनदेन लागत घटाने और बेहतर ग्राहक सेवा के लिए किसान क्रेडिट कार्डों को एटीएम योग्य और स्मार्ट कार्ड में बदलने योग्य बनाना; (iii) उचित ब्याज दरों पर खेती के लिए दिए जानेवाले ऋणों की पुनर्संरचना (iv) स्वयं सहायता समूहों को आवश्यकता आधारित बचत और ऋण उत्पाद प्रस्तावित करना तथा किसान क्रेडिट कार्ड और स्वरोजगार केडिट कार्डों के समान उन्हें क्रेडिट कार्ड देने की संभावनाएं तलाशना; (v) यह सुनिश्चित करना कि लघु वित्त संस्थाओं को उधार देनेवाली संस्थाएं अपने ग्राहकों से लिए जानेवाली ब्याज की दरें, लागत और उचित मार्जिन के आधार पर निर्धारित करें; योजना से बाहर जाने की अंत निर्मित एक स्पष्ट रणनीति वाले प्रतिकृति बनाने योग्य माडल सृजित करने के लिए संवर्धनकारी पहल पर ध्यान केंद्रित करना जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की खपत औपचारिक बैंकिंग प्रणाली की पहुंच, उत्पादन प्रक्रिया और उत्पादकता बढ़ाएगी तथा औपचारिक ऋण वितरण प्रणाली की संवेदनशीलता सुधारना और (vii) बाजार प्रत्याशाओं के अनुरूप नाबार्ड के पुनर्वित्त उत्पादों की समीक्षा करना।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सात सिफारिशें स्वीकार की गई थीं। ये मुख्यतः निम्नलिखित से संबंधित थीं : (i) परक्राम्य भंडारण रसीद प्रणाली का प्रारंभ; (ii) कृषि ऋणों के संबंध में स्टाम्प शुल्क में कमी; (iii) काश्तकारों और फसल बंटाई पर खेती करनेवालों के अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान करना और (iv) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण और आस्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 में दी गई व्यवस्था के अनुसार देयों की वसूली में वित्तीय सहायता प्रदान करना।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा छह सिफारिशें नहीं स्वीकार की गई थीं। ये थीं : (i) सरकारी और निजी क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिए जानेवाले उधार अगले दो वर्ष में बढ़ाकर निवल बैंक ऋण के 12 प्रतिशत तक पहुंचाना और उसके बाद अगले दो वर्ष में इसे बढ़ाकर 13.5 प्रतिशत करना; (ii) 18 प्रतिशत के लक्ष्य के सामने बैंकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए प्रथम दो वर्षों में 6 प्रतिशत की सीमा तक कृषि को दिए गए अप्रत्यक्ष उधारों की गणना करना; (iii) न्यायोचित प्रयोजनों हेतु नाबार्ड को स्पर्धात्मक बाह्य वाणिज्यिक उधारों की अनुमति देना; और (iv) पांच वर्ष के लिए नाबार्ड पर कंपनी आयकर लगाने का आदेश लंबित करना और 2007 में इस संबंध में समीक्षा करना । कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय को दो सिफारिशें भेजी गई हैं। ये सिफारिशें (i) संविदा खेती से जुड़े बैंकों तथा विवाद टालने के लिए उत्पादन की गुणवत्ता के उचित प्रमाणन की एक व्यवस्था स्थापित करने से संबंधित हैं; और (ii) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाइ) की डिजाइन का पुनरावलोकन करने और इसे अधिक कारगर बनाने के लिए सब्सिडियों के समय और मात्रा में मामूली परिवर्तन करना।

छह सिफारिशें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित थीं। ये मुख्यतः विलय, समामेलन और समेकन के माध्यम से पुनर्संरचना तथा कारगर कार्यान्वयन के लिए वैकल्पिक मॉडलों से संबंधित थीं। इन सुझावों में से कुछ कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

2.36 दिसंबर 2005 में बैंकों को सूचित किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्लीनिकों/कृषि कारोबार की स्थापना की योजना के कार्यान्वयन में आनेवाली समस्याओं, यदि कोई हों, पर चर्चा के लिए राज्यस्तरीय बैंकर समिति की उप समिति की बैठकों में राज्य स्तर पर लघु कृषक कृषि कारोबार संघ (एसएफएसी) के प्रभारी अधिकारियों और एसएफएसी के संपर्क (नोडल) अधिकारियों को 'विशेष आमंत्रिती'के रूप में आमंत्रित किया जाए।

2.37 वर्ष 2005-06 के खरीफ और रबी मौसमों के लिए कृषकों द्वारा लिए गए एक लाख रुपए तक के फसल ऋणों के मूलधन पर दो प्रतिशत अंक की ब्याज राहत वर्ष 2006-07 के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी। तदनुसार, 9 मार्च 2006 को बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 31 मार्च 2006 से पहले उधारकर्ता के खाते में राहत राशि जमा करें और बाद में उसकी प्रतिपूर्ति मांगें। इस प्रयोजन हेतु 1,700 करोड़ रुपए के अनुदान

में से 840 करोड़ रुपए की कुल निधियां नाबार्ड के पास रखी गई थीं और अब तक सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों के 375 करोड़ रुपए के दावों की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

2.38 वर्ष 2006-07 के अपने बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के फलस्वरूप, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया था कि किसानों को दिए गए 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि उत्पादन ऋणों के संबंध में सरकार उनको ब्याज दर में 2 प्रतिशत वार्षिक की राहत देगी। ब्याज दर राहत की इस राशि की गणना संवितरित ऋण की राशि पर की जाएगी और यह ऋण संवितरण की तारीख से अदायगी की तारीख तक अथवा देय तिथि अर्थात क्रमशः खरीद के लिए 31 मार्च 2007 और रबी के लिए 30 जून 2007, जो भी पहले पड़े, होगी। यह ब्याज दर राहत इस शर्त पर दी जाएगी कि वे 7 प्रतिशत वार्षिक के जमीनी आधार पर अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में यह उनकी अपनी निधियों से संवितरित अल्पावधि उत्पादन ऋणों पर ही लागू है और नाबार्ड की पुनर्वित्त सहायता से दिए गए ऐसे ऋण इसमें शामिल नहीं हैं।

2.39 अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण (एनएसएस उनसठवां चक्र) ने उद्घाटित किया कि ग्रामीण परिवारों के कुल देयों में साहूकारों का हिस्सा 1991 के 17.5 प्रतिशत से बढ़कर 2002 में 29.6 प्रतिशत हो गया। किसानों की दुर्गति का महत्वपूर्ण कारण साहूकारों का भारी कर्ज हो सकता है, इस तथ्य पर विचार करते हुए वर्ष 2006-07 के वार्षिक नीति वक्तव्य में यह निर्णय लिया गया था कि विभिन्न राज्यों में धन उधार देने के नियंत्रक मौजूदा कानूनी ढांचे की कारगरता और इसकी कार्यान्वयन व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए एक तकनीकी दल (अध्यक्षः श्री एस.सी.गुप्ता) गठित किया जाए। इस दल से यह भी आशा की गई थी कि यह ग्रामीण परिवारों के हित में कानूनी और कार्यान्वयन ढांचे में सुधार लाने हेतु राज्य सरकारों को सिफारिश करें।

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए राहत उपाय

2.40 रिज़र्व बैंक ने अगस्त 1984 और जून 1998 में बैंकों को स्थायी मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए थे जो उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपलब्ध कराने के लिए अपनाने थे। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों को अनुमति दी गई थी कि लगातार फसल खराब होने / फसलों को हुए नकसान की गंभीरता के आधार पर 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष की अवधि के लिए ऋणों को परिवर्तित कर सकते हैं। नया चुकौती कार्यक्रम बना सकते हैं, पीड़ित किसानों को नए फसल ऋण दे सकते हैं / मूलधन के साथ-साथ देय ब्याज को बदल कर उसे नया ऋण बना सकते हैं, जमानत और मार्जिन संबंधी मानदंडों में ढील दे सकते हैं और प्रभावित लोगों को उपभोग ऋण दे सकते हैं।

2.41 आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्यों और पांडिचेरी के संघ शासित क्षेत्र तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में दिसंबर 2004 में सुनामी से हुए जानमाल के नुकसान को देखते हुए संबंधित राज्यों / संघशासित क्षेत्रों की संबंधित राज्य स्तरीय बैंकर समितियों के संयोजक बैंकों को सूचित किया गया था कि वे स्थिति का मूल्यांकन करें और स्थायी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रभावित लोगों को उचित राहत उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कदम उठाएं। बैंकों के माध्यम से किए गए राहत और पुनर्वास उपायों की प्रगति की निगरानी तथा स्थिति की सतत समीक्षा करने के लिए 27 दिसंबर 2004 को एक कार्यदल (अध्यक्षः श्री वी.लीलाधर) भी गठित किया गया था।

2.42 अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के संघशासित क्षेत्र में *सुनामी* से प्रभावित व्यक्तियों के बकाया ऋण को बट्टे खाते डालने के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया राहत पैकेज कार्यान्वित नहीं किया गया था, हालांकि इसके अंतर्गत आनेवाली औसत राशि बहुत छोटी थी। फरवरी 2006 में पोर्ट ब्लेयर में बैंकरों और संघशासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की रिज़र्व बैंक के गवर्नर से हुई चर्चा के अनुसरण में एक बैंक विशेष दृष्टिकोण अपना कर *सुनामी* से प्रभावित उधारकर्ताओं के लिए किए जानेवाले राहत उपायों के प्रस्ताव को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक शक्तिप्राप्त कार्यदल (ईटीएफ) गठित किया गया था। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में छोटे व्यापारियों और कारोबारियों के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए पुनरुज्जीवन पैकज को ध्यान में रखते हुए इस कार्यदल ने कतिपय अतिरिक्त सिफारिशें कीं (बॉक्स II.4)।

2.43 वर्ष 2005-06 में प्राकृतिक आपदाओं में आई बाढ़ यथा, महाराष्ट्र में बाढ़ (जुलाई 2005), जम्मू और कश्मीर में भूकंप (अक्तूबर 2005) तथा तमिलनाडु में अप्रत्याशित भारी वर्षा (नवंबर-दिसंबर 2005) से जनजीवन प्रभावित हुआ। सभी मामलों में, रिज़र्व बैंक ने राज्य स्तरीय बैंकर समितियों के संयोजक बैंक को सूचित किया कि वह स्थिति का मूल्यांकन करे और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए जानेवाले राहत उपायों के संबंध में स्थायी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रभावित लोगों को उचित राहत देने के लिए तत्काल कदम उठाए। इन उपायों में शामिल हैं : मौजूदा ऋणों का चुकौती कार्यक्रम फिर से

बाक्स II.4 : *सुनामी* से प्रभावित व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त राहत उपाय

सुनामी से पीड़ित व्यक्तियों को राहत उपलब्ध कराने के लिए कार्यदल (अध्यक्ष : श्री बी.महापात्र) द्वारा की गई अतिरिक्त सिफारिशें अधोलिखित हैं :

- चूंकि उत्तरी द्वीप समूहों में हुए नुकसान की तुलना में दक्षिणी द्वीप समूहों और समस्त निकोबार जिले में हुए नुकसान और विनाश को देखते हुए दक्षिणी द्वीप समूहों के सभी ऋण पूरी तरह से माफ कर दिए जाने चाहिए चाहे, उनकी बकाया राशि जो भी हो।
- बीमा दावा के अंतर्गत कवर न किए गए वैयक्तिक खंड के आवास ऋणों पर भारत सरकार के पुनरुज्जीवन पैकेज में परिकल्पित संबंधित बकाया राशियों के लिए यथा प्रयोज्य राहत देने के लिए विचार किया जा सकता है।
- केवल उन उधारकर्ताओं को छोड़कर जो वैयक्तिक खंड में हैं और वित्तीय जमानतों से रक्षित हैं, उत्तरी द्वीप समूह के 5 लाख रुपए से अधिक के बकाया ऋणों वाले उधारकर्ताओं को 26 दिसंबर 2004 को बकाया शेष राशि पर 31 दिसंबर 2005 तक एक वर्ष के लिए ब्याज राहत दी जानी चाहिए, बशर्ते कि यह लाभ न्यूनतम 1.80 लाख रुपए हो। यह भी सिफारिश की गई थी कि आवास ऋणों को भी उस सीमा तक कवर किया जाए जितने तक कि वे बीमा दावा भुगतानों से कवर नहीं हैं।
- उपर्युक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन से पैदा होनेवाला समस्त अतिरिक्त भार बैंकों /अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनी ओर से वहन करने पर विचार करना चाहिए।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के संघशासित क्षेत्र के लिए संघशासित क्षेत्र स्तरीय बैंकर समितियों (यूटीएलबीसी) के संयोजक बैंक को मई 2006 में सूचित किया गया था कि वह इस कार्यदल की सिफारिशें शीघ्र कार्यान्वयन हेतु संघशासित क्षेत्र के बैंकों के ध्यान में लाएं। इस संबंध में हो रही प्रगति की निगरानी यूटीएलबीसी की तिमाही बैठकों में अनिवार्यतः की जाए।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के छोटे व्यापारियों और कारोबारियों जिन्हें वाणिज्यिक बैंकों /अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण दिए गए थे और जिन्हें 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से हुए विनाश के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचा है, उनके लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने 57.51 करोड़ रुपए का पुनरुज्जीवन पैकज घोषित किया है। चूंकि भारत सरकार ने पुनरुज्जीवन पैकेज को संशोधित करके 79.55 करोड़ रुपए कर दिया है, अतः इस कुल पैकेज में से 66.7 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है जबकि शेष 33.3 प्रतिशत बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा वहन किया जा रहा है।

बनाना/पुनर्संरचना, ऐसे ऋणों का लेखांकन मौजूदा देयों के रूप में करना; ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर न करना; अप्रत्याशित आपदा से प्रभावित दस्तकारों, स्वनियोजित व्यक्तियों, व्यापारियों, अति लघु और लघु उद्योग इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और रिहाइशी इकाइयों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के प्रयोजन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।

2.44 रिज़र्व बैंक ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंक ग्राहकों को राहत प्रदान करने के लिए समय-समय पर बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धांत/ अनुदेश जारी किए हैं। ये मार्गदर्शी सिद्धांत अधिकांशतः कृषि और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों तक सीमित हैं। तथापि देश में, *सुनामी,* भारी वर्षा, बाढ़ और भूकंपों के दौरान एटीएम के काम करने, छोटे ग्राहकों के खाते खोलने, दस्तावेजों के अभाव में खातों के परिचालन और कंप्यूटर नेटवर्कों के फेल हो जाने जैसी बातों के कारण बहुत सी बैंकिंग गतिविधियां प्रभावित हुईं। अतः, 2005-06 के लिए मौद्रिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में यह घोषणा की गई कि इसमें शामिल सभी मामलों को एक आंतरिक कार्यदल देखेगा और मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धांतों को और व्यापक बनाने के लिए उचित संशोधन और अतिरिक्त सुझावों की सिफारिश करेगा। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने एक आंतरिक कार्यदल (अध्यक्ष : श्री जी.श्रीनिवासन) गठित किया। इस समूह, जिसने अपनी अंतिम रिपोर्ट 12 जून 2006 को प्रस्तुत की, ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपलब्ध कराने के लिए अनेक सिफारिशें की हैं (बॉक्स II.5)।

2.45 इस समूह की सिफारिशों के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में विशेष राहत उपाय करने के लिए 09 अगस्त 2006 को रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अतिरिक्त मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में शामिल थे : (i) उन क्षेत्रों में, जहां बैंक शाखाएं प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित थी और सामान्य रूप से कार्य करने में असमर्थ थीं, वहां अस्थायी परिसर से कार्य करना; (ii) ग्राहक की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मीयादी जमाराशियों आदि को तुड़वाने से संबंधित दंड माफ करना; (iii) एटीएम को शीघ्रातिशीघ्र चालू करने की व्यवस्था करना और अपने गाहकों को अन्य एटीएम नेटवर्क, मोबाइल एटीएम से पैसा निकालने के लिए अनुमति देने हेतु व्यवस्था बनाना; (iv) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों के लिए नए खाते खोलने की प्रक्रिया को सरल बनाना (v) मौजूदा ऋणों की पुनर्संरचना करना (vi) उपभोग ऋणों की सीमाएं बढ़ाना। इसके अलावा, 4 सितंबर 2006 को बैंकों को सूचित किया गया था कि नए वित्त के संबंध में अधिस्थगन, पुनर्संरचित ऋणों के लिए अतिरिक्त संपार्श्विक और आस्ति वर्गीकरण के संबंध में अनुदेश सभी प्रभावित पुनर्संरचित उधार खातों पर लागू होंगे जिसमें कृषि के अलावा उद्योगों और व्यापार के खाते भी सम्मिलित हैं।

2.46 जुलाई 2006 में यह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया था कि किसानों के ऋण खाते जो 01 जुलाई 2006 को अतिदेय हो गए थे, वे माननीय प्रधानमंत्री

बॉक्स II.5 : प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए जानेवाले विशेष राहत उपायों के संबंध में आंतरिक कार्यदल

इस आंतरिक कार्यदल द्वारा की गई सिफारिशें निम्नानुसार हैं :

- नए खाते खोलने की अनुमति देना
- ग्राहकों को दूसरे बैंकों से एटीएम नेटवर्कों से नकदी आहरित करने की अनुमति दी जाए और उसके सेवा प्रभार मूल बैंक द्वारा वहन किए जाए।
- एटीएम से आहरित की जानेवाली दैनिक नकद आहरण राशि की सीमाएं बढ़ाना
- मोबाइल एटीएम के माध्यम से नकद देना
- प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र में रहनेवाले क्रेडिट कार्ड धारकों के संबंध में देयों की अदायगी के भुगतान को एक से दो माह की अवधि के लिए विलंबित करना और भुगतान न होने से संबंधित विलंब शुल्क और दंड को माफ करना
- क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता बैंकों द्वारा विपरीत ऋण सूचना देने से बचना
- बिना किसी जमानत के दिए जाने वाले उपभोग ऋण की सीमा 250 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करना और बैंक के विवेक पर इसे और आगे बढ़ाकर 25,000 रुपए तक करने का प्रावधान रखना
- ऋण खातों को बंद करने और ब्याज दर घटाने की अनुमति देना
- एक संपूर्ण विशद कारोबार निरंतरता योजना तैयार करना जिसमें 30 दिन की अवधि के लिए अस्थायी शाखाएं, दूरस्थ कार्यालय, एक्सटेंशन काउंटर खोलना या मोबाइल बैंकिंग सुविधाएं देना, प्रभावित क्षेत्रों में करेंसी नोटों की आपूर्ति हेतु वैकल्पिक व्यवस्थाएं करना, डाकघरों और कोषागारों में निक्षेपागार खोलना तथा तेजी से बैंक खाते खोलने की सुविधाएं प्रदान करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में राज्यस्तरीय बैंकर समिति के आयोजक बैंक में एक नियंत्रण कक्ष बनाना /हेल्प लाइन स्थापित करना और रिज़र्व बैंक तथा बैंकों के प्रत्येक संपर्क कार्यालयों में एक हेल्पलाइन स्थापित करना।

द्वारा घोषित ''महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र को राहत उपाय' के पैकेज की तर्ज पर पुनर्संरचित किए जाएं और (01 जुलाई 2006 की स्थिति के अनुसार) उन पर देय ब्याज माफ कर दिया जाए। ऐसे किसानों के लिए वित्त गतिविधि चलाना सुनिश्चित किया जाए। बैंकों द्वारा जारी की जानेवाली 1,275 करोड़ रुपए की कुल परिकल्पित राशि प्रभावित जिलों में कार्यरत बैंकों के बीच बैंक आफ महाराष्ट्र (एसएलबीसी के संयोजक बैंक के रूप में) द्वारा आबंटित की गई थी।

2.47 देश के कुछ भागों में एवियन फ्लू (बर्ड फ्लू) का प्रकोप मिला। मुर्गियों के मारे जाने तथा पोल्ट्री की मांग और उनके मूल्यों में भारी गिरावट के चलते आय की हानि को दृष्टिगत रखते हुए 4 अप्रैल 2006 को बैंकों को सूचित किया गया था कि वे उनके द्वारा वित्तपोषित पोल्ट्री इकाइयों को राहत देने पर विचार करें। बैंकों को सूचित किया गया था कि मूलधन और कार्यशील पूंजी ऋणों पर देय ब्याज और किस्तों तथा मीयादी ऋणों पर ब्याज जो बर्ड फ्लू प्रारंभ होने पर/के बाद अर्थात् 01 फरवरी 2006 को भुगतान के लिए देय हुआ है तथा शेष अदत्त राशि मीयादी ऋणों में परिवर्तित कर दी जाए। इस प्रकार परिवर्तित किए गए ऋणों के लिए यह अपेक्षित था कि एक वर्ष तक प्रारंभिक अस्थगन अवधि के साथ तीन वर्ष तक की अवधि के दौरान प्रक्षेपित किए गए भावी निधि अंतर्वाहों के आधार पर उन्हें किस्तों में वसूला जाए। इस मीयादी ऋण के शेष भाग का चुकौती कार्यक्रम इकाई की नकद प्रवाह जनक क्षमता के आधार पर एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि के साथ फिर से बनाया जाना अनिवार्य था। चुकौती कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण/परिवर्तन 30 जून 2006 तक पूरा कर लिया जाना था। उधारकर्ता को नये आवश्यकता आधारित उत्पाद के लिए पात्र बनाया गया। 31 मार्च 2006 को पोल्ट्री उद्योग के जो खाते मानक खातों के रूप में वर्गीकृत किए गए थे उन्हें पूर्वोल्लिखित राहत दी गई थी।

2.48 ब्याज राहत की व्याप्ति, उसकी गणना और संवितरण के संबंध में 23 मई 2006 को बैंकों को भी मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए थे। बैंकों द्वारा प्रस्तुत दावों की प्रतिपूर्ति करने के लिए केंद्र सरकार ने रिज़र्व बैंक के पास 80 करोड़ रुपए रखे हैं। इस प्रयोजन हेतु सरकारी, निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों को कुल मिलाकर 75 करोड़ रुपयों की प्रतिपूर्ति की गई।

छोटे और मध्यम उद्योगों को ऋण प्रवाह

2.49 बड़े उद्योगों जिनकी वित्त के विभिन्न देशी और अंतरराष्ट्रीय स्रोतों तक पहुंच है, के विपरीत छोटे और मध्यम उद्यम (एसएमई) अधिकांशतः बैंक वित्त पर निर्भर रहते हैं। तथापि, हाल के वर्षों में एसएमई क्षेत्र को होनेवाले ऋण प्रवाह में रुद्धता की प्रवृत्ति दिखाई दी है। समग्र अर्थव्यवस्था में, खासकर इसकी रोजगार जनक क्षमता के संदर्भ में लघु उद्योग इकाइयों के महत्व को देखते हुए यह चिंता का विषय है। अतएव, रिज़र्व बैंक एसएमई क्षेत्र को ऋण का प्रवाह बढ़ाने की दिशा में सतत प्रयास करता रहा है।

2.50 छोटे और मध्यम उद्यमों को ऋण का प्रवाह बढ़ाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में अगस्त 2005 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया गया था कि वे एसएमई क्षेत्र को ऋण का प्रवाह सुधारने के लिए कदम उठाएं। इसके लिए एक रिपोर्टिंग और निगरानी प्रणाली भी निर्धारित की गई थी (बॉक्स II.6)।

2.51 10 अगस्त 2005 को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के फलस्वरूप 10 करोड़ रुपए से कम अनर्जक आस्तियों वाले एस

बॉक्स II.6 : छोटे और मध्यम उद्यमों को ऋण बढ़ाने के लिए नीतिगत पैकेज

छोटेऔर मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण प्रवाह संबंधी आंतरिक दल (अध्यक्ष: श्री सी.एस. मूर्ति) की सिफारिशों के अनुसरण में केंद्रीय वित्त मंत्री ने छोटे और मझौले उद्यमों को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए 10 अगस्त 2005 को संसद में कतिपय उपायों की घोषणा की थी। उपर्युक्त घोषणा के अनुसरण में 19 अगस्त 2005 को सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे निम्नलिखित कदम उठाएं :

- लघु उद्योग सीमा से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक प्लांट और मशीनरी में निवेश वाली इकाइयां मध्यम उद्यम मानी जाएंगी। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में केवल लघु उद्योग इकाई का वित्तपोषण शामिल किया जाएगा।
- सभी बैंक छोटे और मध्यम उद्यम क्षेत्र (एस एम ई) के वित्त पोषण हेतु अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करें ताकि ठीक पहले वाले वर्ष की तुलना में अधिक संवितरण दिखाया जा सके, जबकि अति लघु और लघुतर इकाइयों के वित्तपोषण के उप लक्ष्य क्रमशः 40 प्रतिशत और 20 प्रतिशत बने रहे। बैंक नई परिभाषानुसार माइक्रो/लघु और मध्यम उद्यमों का अलग-अलग विवरण दर्शाते हुए 31 मार्च 2005 की स्थिति को एसएम ई क्षेत्र को दिए गए ऋण के बकाए से संबंधित आंकड़ों के समेकन की व्यवस्था बना सकते हैं।
- बैंक उद्यमों की क्रेडिट रेटिंग से ऋण की लागत को संबद्ध करते हुए एक पारदर्शी प्रणाली अपनाकर एस एम ई क्षेत्र के ऋणों की लागत को औचित्यपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं।
- एस एम ई क्षेत्र को औपचारिक ऋण की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक एक अभिमुखी प्रयास कर सकते हैं ताकि प्रति वर्ष उनकी प्रत्येक अर्ध शहरी / शहरी शाखा में कम से कम औसतन 5 नए लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण सहायता दी जा सके।
- लघु उद्योग क्षेत्र को उधार के संबंध में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर बैंकों के निदेशक मंडल लघु/मध्यम क्षेत्र को ऋणों के संबंध में मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धांतों की तुलना में अधिक व्यापक और उदार नीतियां तैयार कर सकते हैं। जब तक कि बैंक ऐसी नीति तैयार नहीं कर लेते उस समय तक रिज़र्व बैंक के मौजूदा अनुदेश बैंकों द्वारा लघु और मध्यम उद्यमों को प्रदत्त अग्रिमों / प्रदान किए जानेवाले अग्रिमों पर लागू होंगे।
- एस एम ई क्षेत्र के वित्त पोषण हेतु समूह आधारित दृष्टिकोण के कारण उपचित लाभों को देखते हुए बैंक इसे महत्वावाला क्षेत्र मान सकते हैं और एस एम ई वित्तपोषण के लिए वही नीति अपना सकते हैं।
- बैंक मध्यम उद्योगों की बहुलता वाले निर्दिष्ट उद्योग समूहों / केंद्रों में एस एम ई विशेष शाखा सुनिश्चित कर सकते हैं ताकि एस एम ई उद्यमी आसानी से बैंक ऋण पा सकें तथा बैंक कर्मियों को अपेक्षित विशेषज्ञता से लैस किया जा सके। मौजूदा लघु उद्योग शाखाओं को भी उनका नाम बदलकर उन्हें एस एम ई शाखा बनाया जा सकता है।
- बैंकों के निदेशक मंडलों द्वारा तैयार किए गए नीतिविषयक मार्गदर्शी सिद्धांतों के साथ-साथ रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेश/मार्गदर्शी सिद्धांत बैंकों की अपनी-अपनी वेबसाइटों के साथ-साथ सिडबी की वेबसाइट पर दर्शाए जा सकते हैं। बैंक अपनी प्रत्येक शाखाओं में उनके द्वारा लघु उद्यमियों को दी जानेवाली सभी सुविधाओं / योजनाओं को प्रमुखता से दर्शाएं ।

मध्यम उद्योगों की बहुलता वाले निर्दिष्ट उद्योग समूहों / केंद्रों में एस एम ई विशेष शाखाओं की स्थापना को छोड़कर उक्त उपाय अगस्त 2005 में सभी बैंकों - निजी, विदेशी, क्षेत्रीय ग्रामीण और स्थानीय क्षेत्र बैंकों के आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित किए गए थे।

रिज़र्व बैंक ने छोटे और मध्यम उद्योगों के वित्तपोषण तथा रुग्ण लघु उद्योग एवं मध्यम उद्यम इकाइयों की पुनर्व्यवस्था में हो रही प्रगति की समीक्षा करने और इस क्षेत्र को ऋण का सरल प्रवाह सुनिश्चित करने में आ रही बाधाओं, यदि कोई हों, को दूर करने के लिए अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों में शक्ति प्राप्त समितियां गठित की हैं। ये क्षेत्र स्तरीय समितियां यह निर्णय करेंगी कि उद्योग केंद्र समूह (क्लस्टर)/जिला स्तरों पर वैसी ही समितियां गठित करने की आवश्यकता है या नहीं।

एम ई खातों से वसूली के लिए एक बारगी निपटान योजना तैयार की गई थी और सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कार्यान्वित किए जाने हेतु सूचित की गई थी (बाक्स II.7)।

2.52 लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण का प्रवाह सुधारने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कार्यान्वयन किए जाने हेतु सितंबर 2005 में छोटे और मध्यम उद्यम क्षेत्र की इकाइयों के लिए एक ऋण पुनर्संरचना व्यवस्था बनाई गई थी। सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 8 सितंबर 2005 को विस्तृत दिशा-निदेश जारी किए गए थे ताकि सभी पात्र छोटे और मध्यम उद्यमों के ऋणों की पुनर्संरचना उन शर्तों पर

बाक्स II.7 : लघु और मध्यम उद्यम (एस एम ई) खातों के लिए एक बारगी निपटान योजना

10 करोड़ रुपए से कम की अनर्जक आस्तियों की वसूली की एक बारगी निपटान योजना में लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में पुरानी अनर्जक आस्तियों के एक बारगी निपटान हेतु एक सरल, विवेकाधिकार शून्य और भेदभाव रहित व्यवस्था दी गई है। तथापि, इस योजना में इरादतन चूक, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामलों को कवर नहीं किया गया है। इस संशोधित योजना में एसएम ई क्षेत्र की सभी अनर्जक आस्तियों को कवर किया गया है जो 31 मार्च 2004 को 'संदिग्ध' या 'हानि'आस्तियां हो गई थीं और जिस तारीख को खाता 'संदिगध' के रूप में वर्गीकृत किया गया उस तारीख को उसमें 10 करोड़ रुपए या उससे कम शेष राशि बकाया थी। इस योजना में 31 मार्च 2004 को 'अवमानक' आस्ति के रूप में वर्गीकृत की गई अनर्जक आस्तियों को भी कवर किया गया है जो बाद में संदिग्ध अथवा हानि आस्तियां बन गई थीं जिस तारीख को खाते को 'संदिग्ध' वर्गीकृत किया गया उस तारीख को खाते में बकाया शेष राशि 10 करोड़ रुपए या उससे कम थी। यह योजना उन मामलों को भी कवर करती है जिन पर बैंकों ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्रवाई की है तथा वे भी मामले, जो न्यायालयों / ऋण वसूली प्राधिकरणों (डीआरटी) / औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआइएफआर) में पड़े हुए हैं, बशर्ते न्यायालयों / डीआरटी / बीआएफआर से सम्मति प्राप्त की जा रही हो। उधारकर्त्ताओं से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2006 थी। संशोधित दिशा-निदेशों के अधीन प्रोसेसिंग का कार्य 30 जून 2006 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए था।

सुनिश्चित की जा सके जो कि कम से कम बैंकिंग क्षेत्र में कंपनी ऋण पुर्नव्यवस्था जितने ही अनुकूल हों। ये मार्गदर्शी सिद्धांत निम्न संस्थाओं पर लागू होंगे जो कि व्यवहार्य हैं अथवा संभवतः व्यवहार्य हैं : (i) सभी गैर-निगमित एस एम ई, बैंकों को की जानेवाली चुकौतियों का स्तर चाहे जो हो; (ii) सभी कार्पोरेट एस एम ई जो एक ही बैंक से बैंकिंग सुविधाएं ले रही हैं बैंकों को की जानेवाली चुकौतियों का स्तर चाहे जो हो और (iii) सभी कंपनी एस एम ई जिनके ऊपर बहु / सहायता संघीय बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए तक के निधीकृत और गैर निधीकृत ऋण बकाया हैं। वे खाते जिनमें इरादतन चूक, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार हुआ है तथा वे खाते जो बैंकों द्वारा 'हानि आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, इन मार्गदर्शी सिद्धातों के अंतर्गत पुनर्संरचना हेतु पात्र नहीं हैं। तथापि, जहां किसी उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने का तरीका पारदर्शी नहीं था वहां बैंक खासकर उन पुराने मामलों की समीक्षा कर सकते हैं और योग्य मामलों को स्वीकार कर सकते हैं, बशर्ते पुनर्व्यवस्था के लिए निदेशक मंडल का अनुमोदन हो। बी आइ एफ आर वाले मामलों के संबंध में इस पैकेज को कार्यान्वित करने से पहले बी आइ एफ आर का अनुमोदन लेने में बैंकों के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सभी औपचारिकता पूरी कर ली गई हैं। बैंकों को सूचित किया गया था कि वे स्वीकार्य, व्यवहार्य बेंचमार्क के बारे में निर्णय लें जो 7 वर्ष में उस इकाई के व्यवहार्य होने के अनुरूप हो और पुनर्संरचित ऋण की चुकौती अवधि 10 वर्ष से अधिक न हो। बैंकों के लिए अपेक्षित है कि वे अनुरोध प्राप्ति की तारीख से ज्यादा से ज्यादा 60 दिन के भीतर पुनर्संरचना पैकेज तैयार करें और उसे कार्यान्वित करें।

2.53 2005-06 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में रिज़र्व बैंक द्वारा की गई घोषणा के अनुसार लघु उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सिडबी, भारतीय बैंक संघ और चुनिंदा बैंकों के परामर्श से लघु उद्यम वित्तीय केंद्रों (एस ई एफ सी) के लिए एक योजना तैयार की गई थी और उसे कार्यान्वयन हेतु सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भेजा गया था। इस योजना ने बैंकों को प्रोत्साहित किया कि वे एस एम ई क्षेत्र (जिसमें अति लघु और सेवा क्षेत्र शामिल है) के सह-वित्तपोषण हेतु लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट उद्योग समूह क्षेत्रों में स्थित अपनी शाखाओं और सिडबी की शाखाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की व्यवस्था कायम करें। लघु उद्यम वित्तीय केंद्र योजना के अंतर्गत सिडबी ने अब तक 16 बैंकों (बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, यस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स, पंजाब नैशनल बैंक, देना बैंक, आंध्रा बैंक, इंडियन बैंक, कार्पोरेशन बैंक, आइडीबीआइ बैंक लि., इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और फेडरल बैंक) के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

2.54 जम्मू और कश्मीर राज्य में एक ओर व्यापार और उद्योग को अपेक्षाकृत अधिक ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करने और दूसरी ओर निगरानी व्यवस्था में उचित परिवर्तन लाने की दृष्टि से समय-समय पर घोषित छूटों / रियायतों के संबंध में स्थिति की समीक्षा की गई थी। जम्मू और कश्मीर राज्य में कार्यरत बैंकों द्वारा तत्काल कार्यान्वयन हेतु अप्रैल 2004 में उधारकर्ताओं / ग्राहकों को दी जानेवाली रियायतों / ऋण में छूटों का एक विशद पैकेज घोषित किया गया था। इस पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर बढ़ी हुई कार्यशील पूंजी आवश्यकताएं स्वीकृत करना; 3 माह के भीतर सभी उधारखातों की समीक्षा; स्वीकार किए गए मीयादी बिलों की बिना पर वित्तपोषण प्रोत्साहित करना; विप्रेषणों के लिए रियायती सेवा प्रशुल्क; कश्मीरी विस्थापितों की छोटी मीयादी जमा रसीदों (10,000 रुपए तक की) के विवरणों का उनकी जारीकर्ता शाखा से सत्यापन किए बिना, जहां जरूरी हो, क्षतिपूर्ति बांड की बिना पर भुगतान करना; योग्य मामलों में चुकौती कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण और उधार पर सामान की खरीद सुगम बनाने के लिए जमा की उदार स्वीकृति/साख-पत्र सुविधाएं देना कवर किया गया था। मार्च 2006 में ये रियायतें / छूटें और एक वर्ष की अवधि अर्थात 31 मार्च 2007 तक के लिए चालू रखी गईं।

निर्यात ऋण

2.55 निर्यात ऋण के लिए गठित कार्यदल (अध्यक्ष : श्री ए. सिन्हा) की सिफारिशों के अनुसरण में फरवरी 2006 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) को सूचित किया गया था कि वे निर्यात ऋण, स्वर्ण कार्ड योजना (जीसीएस), गैर स्टार निर्यातकों के लिए निर्यात ऋण और कतिपय अन्य पहलुओं से संबंधित अपनी मौजूदा क्रियाविधि की समीक्षा करें। निर्यात ऋण की मौजूदा क्रियाविधि की समीक्षा में निम्नलिखित को शामिल करना अपेक्षित था: (i) लघु/मध्यम निर्यातकों को किए जानेवाले प्रस्तावों के दृष्टिकोण में परिवर्तन; (ii) आवेदन को शीघ्र निपटाने के लिए एक रिपोर्टिंग और नियंत्रण व्यवस्था बनाना; (iii) आवेदनों पर कार्रवाई करते समय जानकारियां बार-बार न मांगकर एक ही बार में सभी जानकारियां मांगना; (iv) एसएसआइ/निर्यात संगठनों के साथ प्रशिक्षण सुगम बनाना; (v) भारतीय बैंक संघ द्वारा सरल ऋण आवेदन पत्र तैयार किया जाना और संपार्श्विक जमानत को अनावश्यक बनाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करना और (vi)राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समितियां जो एसएलबीसी की उपसमितियों के रूप में पुनर्गठित की गई हैं, के माध्यम से बैंकों और निर्यातकों के बीच समन्वय बढ़ाना।

2.56 स्वर्ण कार्ड योजना की समीक्षा में (i) तीन माह की अवधि के भीतर सभी पात्र निर्यातकों को कार्ड जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर लेना और रिज़र्व बैंक को इसके अनुपालन की पुष्टि करना और

(ii) भारतीय बैंक संघ द्वारा क्रियाविधि को सरल बनाया जाना और ईसीजीसी की पैकिंग क्रेडिट गारंटी सेक्टोरल स्कीमों से सभी पात्र स्वर्ण कार्ड धारकों को उनके ट्रैक रेकार्ड के आधार पर स्वर्ण कार्ड योजना के अंतर्गत प्रदत्त छूटों को अमली जाना पहचाना। बैंकों को सूचित किया गया था कि वे एसएमई निर्यातकों की ऋण से संबद्ध समस्याओं पर ध्यान देने के लिए क्षेत्रीय/ आंचलिक कार्यालयों और प्रमुख शाखाओं में जहां निर्यात ऋण काफी है, संपर्क अधिकारियों को तैनात करें। निधियों की लागत, मार्जिन अपेक्षाओं और जोखिम जागृती को ध्यान में रखते हुए बैंकों को रिज़र्व द्वारा निर्दिष्ट उच्चतम दरों की तुलना में कम दरों पर निर्यात ऋण उपलब्ध कराने पर भी विचार करना अपेक्षित है। बैंकों से कहा गया था कि वे गैर निर्यातक उधारकर्ताओं के विदेशी मुद्रा ऋणों की तुलना में निर्यातकों की विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें।

ऋण-जमा अनुपात संबंधी विशेषज्ञ दल

2.57 ऋण-जमा अनुपात की निगरानी करने और इसे बढ़ाने के लिए निगरानी योग्य कार्य योजनाएं बनाने के उद्देश्य से नवंबर 2005 में बैंकों को सूचित किया गया था कि जिन जिलों का ऋण-जमा अनुपात 40 से कम है उन जिलों में जिला स्तरीय समन्वय समिति (डीएलसीसी) की विशेष उप समितियां गठित की जाएं। जिन जिलों का अनुपात 40 से 60 के बीच है उनकी निगरानी डीएलसीसी द्वारा मौजूदा प्रणाली के अंतर्गत की जाएगी। 40 से कम ऋण-जमा अनुपात वाले जिलों की संख्या जो दिसंबर 2005 के अंत में 196 थी, से घटकर जून 2006 के अंत में 180 हो गई। ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने के लिए निगरानी योग्य कार्य योजना तैयार करने हेतु 180 जिलों में से 133 जिलों में डीएलसीसी की विशेष उपसमितियां गठित कर दी गई हैं।

4. विवेकसम्मत विनियमन

2.58 बैंकों की वित्तीय शक्ति बढ़ाने और उनके परिचालनों में अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शिता लाने के दोनों ही लक्ष्यों पर केंद्रित नीतियों के अंगीकरण द्वारा बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए चल रहे सतत प्रयासों के एक अंग के रूप में रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न कदम उठाए। ***नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे (बासल II) के आसन्न कार्यान्वयन पर रिज़र्व बैंक का ध्यान सबसे ज्यादा था।*** बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार, नवोन्मेषी और संकर (हाइब्रिड) लिखतों के माध्यम से पूंजी जुटाने तथा परिचालनीय जोखिम के प्रबंध के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए थे। कतिपय क्षेत्रों के लिए जोखिम भार बढ़ाकर, मानक आस्तियों के लिए ऊंचे प्रावधान करके, कारोबार निरंतरता योजनाओं और वित्तीय सेवाओं की आउट सोर्सिंग के संबंध में ड्राफ्ट मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करके जोखिम दूर करने के उपाय जारी रखे गए। लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों के गवर्नेंस को सुधारने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप बनाने की दृष्टि से उन्हें और सुदृढ़ बनाया गया। बैंकों को मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण की अनुमति देकर तथा अनर्जक आस्तियों की खरीद/ बिक्री की अनुमति देकर उन्हें अपनी आस्तियों के प्रबंध में अपेक्षाकृत अधिक नम्यता प्रदान की गई। कंपनी ऋण पुनर्संरचना (सीडीआर) योजना आशोधित की गई थी।

पूंजी पर्याप्तता

2.59 बैंकों द्वारा बासल II के अंगीकरण के प्रति रिज़र्व बैंक वचनबद्ध है और इसने सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा इसके अंगीकरण की तारीख पहले 31 मार्च 2007 बताई थी। तथापि, बैंकिंग प्रणाली की तैयारी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि बैंकों को थोड़ा और समय दिया जाए ताकि वे उचित प्रणालियां स्थापित कर सकें और बासल II का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित कर सकें। भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों और भारत के बाहर अपनी उपस्थिति दर्शाने वाले भारतीय बैंकों को 31 मार्च 2008 से बासल II के अंतर्गत ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण और परिचालनीय जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण अपनाना होगा। सभी अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे बासल II के अंतर्गत इन दृष्टिकोणों को उनके अनुसार अपनाएं लेकिन हर हालत में 31 मार्च 2009 से पहले ही। बैंकों की संचालन समिति बैंकों के साथ विचार-विमर्श करना जारी रखेगी और बासल II के सुगम कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन देगी। उन्हें ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण और परिचालनीय जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण अपनाना अपेक्षित है।

2.60 नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा अपनाने के परिप्रेक्ष्य में बैंकों को संशोधित ढांचे के अंतर्गत अपेक्षाएं पूरी करने के लिए अपनी पूंजी निधियां और बढ़ानी होंगी। बासेल II के अंतर्गत पूंजी आवश्यकताएं न केवल जोखिम स्तर के प्रति संवेदनशील होती हैं बल्कि वे परिचालन जोखिम पर भी लागू होती हैं। इस प्रकार, बैंकों को बासेल II अपेक्षाओं के लिए अतिरिक्त पूंजी जुटाने के साथ-साथ अपने तुलनपत्रों के विस्तार को भी समर्थन देने की आवश्यकता होगी। बासेल II को सुगमता से अपनाने और पूंजी निधियां जुटाने हेतु भारत में बैंकों को अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराने की दृष्टि से जनवरी 2006 में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अतिरिक्त लिखतें जैसे कि (i) टियर I पूंजी के रूप में शामिल किए जाने हेतु पात्र नवोन्मेषी बेमीयाद ऋण लिखतें (आइपीडीआइ) ; (ii) अपर टियर II पूंजी के रूप में शामिल किए जाने हेतु पात्र ऋण पूंजी लिखतें; (iii) टियर I पूंजी के रूप में शामिल किए जाने योग्य पात्र प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर जारी करके अपनी पूंजी निधियां बढ़ा सकेंगे। उपर्युक्त (i) और (ii) की लिखतों के लिए

विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत पहले ही जारी किए जा चुके हैं (बाक्स II.8)। उपर्युक्त (iii) और (iv) में वर्णित लिखतों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत यथा समय अलग से जारी किए जाएंगे।

2.61 संशोधित ढांचे के अंगीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासल समिति ने पांचवां मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन (क्यूआइएस-5) प्रारंभ किया है। ग्यारह भारतीय बैंकों, जिनका बाजार हिस्सा (आस्तियों के अनुसार) लगभग 50 प्रतिशत है, ने इस क्यूआइएस-5 अभ्यास में भाग लिया। अनुभवजन्य विश्लेषण दर्शाता है कि जब ये बैंक ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण और परिचालनीय जोखिम हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण के लिए बासल II मानदंड लागू करेंगे तब इन बैंकों का संयुक्त पूंजी पर्याप्तता अनुपात लगभग 100 आधार अंक नीचे आने की संभावना है। हालांकि इनमें से कोई भी बैंक जिसने इस अभ्यास में भाग लिया है नए ढांचे के अंतर्गत न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात का उल्लंघन नहीं करेगा। यह परिणामी प्रभाव व्यापक दायरे को परिलक्षित करता है।

बॉक्स II.8 : पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों हेतु बैंकों के पूंजी जुटाने के विकल्पों में वृद्धि

I. नवोन्मेषी बेमीयाद ऋण लिखतें

नवोन्मेषी बेमीयाद ऋण लिखत,जोकि बेमीयादी स्वरूप की है, कुल टीयर I पूंजी के 15 प्रतिशत तक जारी किए जाने की अनुमति है। हालांकि 'पुट ऑप्शन'के साथ आइपी डीआइ जारी करने की अनुमति नहीं है लेकिन इसे 'काल ऑप्शन'और 'स्टेप अप ऑप्शन' के साथ जारी किया जा सकता है। तथापि, 'कॉल ऑप्शन'का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब यह लिखत कम से कम दस वर्ष चल चुका हो और इसके लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो। 'स्टेप अप ऑप्शन' का प्रयोग निर्गम की तारीख से दस वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात काल ऑप्शन के साथ संयुक्त रूप से लिखत की संपूर्ण जीवनावधि में मात्र एक बार ही किया जा सकता है। पुनश्च, यह स्टेट अप 100 आधार अंकों से अधिक नहीं होना चाहिए। चूंकि यह लिखत टियर I पूंजी के रूप में शामिल किए जाने के लिए पात्र है, इसमें 'हानि अवशोषक'पहलू रहेगा। यदि जारीकर्ता बैंक का सीआरएआर विनियामक न्यूनतम निर्दिष्ट सीमा से कम है अथवा ऐसे भुगतानों से बैंक का सीआरएआर न्यूनतम विनियामक निर्दिष्ट अपेक्षा से नीचे गिर जाता है अथवा नीचे बना रहता है तो आइपीडीआइ पर ब्याज, देय ब्याज अदायगी योग्य नहीं है और असंचयी भी है। तथापि, बैंकों को रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से देय ब्याज अदा करने की अनुमति है चाहे ब्याज की अदायगी की वजह से निवल हानि/ हानि में वृद्धि हो, बशर्ते, सीआरएआर विनियामक मानदंडों से ऊपर बना रहे। जहां तक दावों की वरीयता का प्रश्न है, नवोन्मेषी लिखतों में निवेशकों के दावे इक्विटी शेयरों में निवेश करने वाले निवेशकों के दावों से ऊपर रहेंगे और अन्य उधारदाताओं के दावों से नीचे रहेंगे। विदेशी संस्थागत निवेशकों और अनिवासी भारतीयों को इन लिखतों में निवेश करने की अनुमति है और यह क्रमशः निर्गम की समस्त सीमा के 49 प्रतिशत और 24 प्रतिशत के भीतर रहेगा, बशर्ते कि प्रत्येक विदेशी संस्थागत निवेशक का निवेश निर्गम के 10 प्रतिशत से अधिक न हो और प्रत्येक अनिवासी भारतीय का निवेश निर्गम के 5 प्रतिशत से अधिक न हो।

भारतीय रुपयों में जारी की गई नवोन्मेषी बेमीयाद ऋण लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किया गया निवेश, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा कंपनी ऋण लिखतों में किए जानेवाले निवेश के लिए निर्दिष्ट की गई रुपए में मूल्यवर्गित कंपनी ऋण (वर्तमान में 1.5 बिलियन अमरीकी डालर, की बाह्य वाणिज्यिक उधार सीमा से बाहर है। बैंक निर्दिष्ट शर्तों के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना भी विदेशी मुद्रा में नवोन्मेषी बेमीयाद ऋण लिखतें जारी करके अपना पूंजी आधार बढ़ा सकते हैं।

II. अपर टियर II लिखतें

टियर II पूंजी के अन्य घटकों के साथ बैंकों द्वारा जारी किए गए अपर टियर II लिखतों की राशि टियर I पूंजी के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती और इन लिखतों की न्यूनतम परिपक्वता 15 वर्ष से कम नहीं हो सकती। आइपीडीआइ के समान ही अपर टियर II लिखतें 'पुट ऑप्शन'के साथ जारी नहीं की जा सकतीं; ये 'कॉल ऑप्शन'और 'स्टेप अप ऑप्शन' के साथ जारी की जा सकें गी। आइपीडीआइ के मामले की तरह ही, काल ऑप्शन का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब लिखत कम से कम दस वर्ष चल चुका हो और वह भी रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से तथा स्टेप अप ऑप्शन का प्रयोग कॉल ऑप्शन के साथ लिखत की पूर्ण जीवनावधि में केवल एक बार किया जा सकता है और वह भी उसके निर्गम की तारीख से दस वर्ष की अवधि बीतने के बाद भी। इसके अलावा, स्टेप अप 100 आधार अंक से अधिक नहीं होना चाहिए। आइपीडीआइ के विपरीत अपर टियर II लिखतों की हानि अवशोषण क्षमता सीमित है। मोचन के समय इस लिखत पर देय ब्याज और मूल धन आस्थगित किया जा सकता है, लेकिन यह संचयी होगा। मोचन के समय देय ब्याज और मूलधन का भुगतान केवल तभी आस्थगित किया जा सकता है जब इसके जारीकर्ता बैंक का सीआरएआर विनियामक निर्दिष्ट न्यूनतम से कम हो अथवा ऐसे भुगतानों के कारण बैंक का सीआरएआर नीचे गिरा हो अथवा निर्दिष्ट न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से नीचे बना रहे। तथापि, बैंको को रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से अदायगी की अनुमति है, चाहे इस अदायगी से निवल हानि हो/ निवल हानि में वृद्धि हो, बशर्ते कि सीआरएआर विनियामक मानदंड से ऊपर रहे। ऐसे अदत्त ब्याज और मूलधन की अदायगी करते समय बैंकों को यह भी अनुमति है कि वे बकाया मूलधन और ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज अदा कर सकते हैं जिसकी दर अपर टियर II बांडों की कूपन दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अपर टियर II लिखतें परिपक्वता पर रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना नहीं चुकाई जातीं। जहां तक दावे की वरीयता का प्रश्न है, अपर टियर II लिखतों में निवेशकों के दावे टियर I पूंजी में शामिल करने योग्य लिखतों में निवेश करने वाले निवेशकों के दावों से ऊपर रहेंगे लेकिन अन्य उधारदाताओं के दावों से नीचे रहेंगे। अल्पावधि गौण ऋण के मामले के अनुसार अपर टियर II लिखतें विगत पांच वर्ष की अपनी अवधि में पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों हेतु क्रमिक छूट के भी अधीन होंगी। ये लिखतें कतिपय प्रतिबंधों के अधीन विदेशी संस्थागत निवेशकों / अनिवासी भारतीय निवेशों के लिए खुली हैं। जबकि ऋण लिखतों में निवेश हेतु बनी बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति में निर्दिष्ट की गई सीमाओं के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों को निवेश करने की अनुमति है। अनिवासी भारतीयों के निवेश चल रही मौजूदा नीति के अधीन हैं।

भारतीय रुपयों में जारी की गई अपर टियर II लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा जारी किए गए निवेश कंपनी ऋण लिखतों में निवेश की सीमा अर्थात 1.5 बिलियन अमरीकी डॉलर से बाहर हैं। तथापि, इन लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए निवेश 500 मिलियन अमरीकी डॉलर की एक अलग उच्चतम सीमा के अधीन हैं । विदेशी मुद्रा में जारी किए गए ऊपरी टियर II लिखतों की कुल राशि अक्षत टियर I पूंजी के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। यह पात्र राशि साख और अन्य अमूर्त आस्तियों को घटाने के बाद लेकिन निवेशों की कटौती करने से पूर्व पिछले वित्त वर्ष की 31 मार्च को टियर I पूंजी की राशि के अनुसार परिकलित की जाती है। यह प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा लिए जाने वाले विदेशी मुद्रा उधारों हेतु मौजूदा सुविधा के अलावा है।

2.62 जनवरी 2002 में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि निर्मित करें जो पांच वर्ष के भीतर 'व्यापार हेतु धारित' (एचएफटी) तथा 'बिक्री हेतु उपलब्ध' (एएफएस) श्रेणियों में किए गए उनके निवेशों का कम-से-कम 5 प्रतिशत हों ताकि वे बाजार जोखिम से निपटने की बेहतर स्थिति में हों (बाक्स II.9)। बैंकों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित किया गया था कि वे 'एएफएस' और 'एचएफटी'निवेशों के अधिकतम 10 प्रतिशत तक आइएफआर निर्मित करें। अक्तूबर 2002 में सूचित किया गया था कि जिन बैंकों ने 31 मार्च 2006 की स्थिति के अनुसार 'एचएफटी' और 'एएफएस' दोनों ही श्रेणियों में ऋण और बाजार दोनों ही जोखिमों के लिए जोखिम भारित आस्तियों के कम से कम नौ प्रतिशत के बराबर पूंजी रखी है उन्हें यह अनुमति दी जाएगी कि वे आइएफआर में समस्त शेष राशि को टियर I पूंजी मानें। इस प्रयोजन हेतु बैंकों को अनुमति दी गई थी कि वे 'लाभ-हानि विनियोग लेखे' के आइएफआर में 'लाभ निकालने के बाद' बची समस्त शेषराशि सांविधिक आरक्षित, सामान्य आरक्षित अथवा लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर सकते हैं। बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि 'बिक्री हेतु उपलब्ध' अथवा 'व्यापार हेतु धारित'

बाक्स II.9: बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार

बाजार जोखिमों के लिए सुनिश्चित पूंजी प्रभार उपलब्ध कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआइएस) की बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति ने 'बाजार जोखिमों को समाविष्ट करने के लिए पूंजी समझौते में संशोधन'जारी किए हैं जिसमें व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत दिए गए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में ट्रेडिंग बुक, ट्रेडिंग बुक की इक्विटियों और ट्रेडिंग तथा बैंकिंग बुक्स दोनों में विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण तथा अन्य मूल्यवान धातुओं सहित) से संबद्ध ब्याज दर लिखतों के लिए पूंजी प्रभारों की गणना में होनेवाली समस्याओं का निराकरण दिया गया है। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के प्रयोजन हेतु ट्रेडिंग बुक में शामिल हैं : (i) 'व्यापार हेतु धारित'श्रेणी के अंतर्गत शामिल प्रतिभूतियां; (ii) 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी के अंतर्गत शामिल प्रतिभूतियां; (iii) खुली स्वर्ण/ स्थिति की सीमाएं; (iv) खुली विदेशी मुद्रा स्थिति सीमाएं; (v) व्युत्पन्नियों में ट्रेडिंग की स्थिति और (vi) ट्रेडिंग बुक एक्सपोजर्स को हेज करने के लिए किए गए व्युत्पन्नी सौदे।

न्यूनतम पूंजी अपेक्षा दो अलग-अलग परिकलित प्रभारों के रूप में व्यक्त की जाती है, यथा (i) प्रत्येक प्रतिभूति के लिए 'विशिष्ट जोखिम', जो अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों ही स्थितियों के लिए ऋण जोखिम हेतु परंपरागत पूंजी प्रभारों के समान ही है और (ii) निवेश संविभाग में ब्याज दर जोखिम के लिए 'सामान्य बाजार जोखिम', जहां विभिन्न प्रतिभूतियों या लिखतों में अल्पावधि और दीर्घावधि स्थितियों (जो भारत में व्युत्पन्नियों के अलावा किसी अन्य में अनुमत नहीं है) को प्रति संतुलित किया जा सकता है।

भारत में, बाजार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार निर्दिष्ट करने की दिशा में प्रारंभिक कदम के रूप में बैंकों को सूचित किया गया था कि : (i) समस्त निवेश संविभाग पर 2.5 प्रतिशत का एक अतिरिक्त जोखिम भार दें; (ii) विदेशी मुद्रा और स्वर्ण पर आरंभिक राशि सीमाओं पर 100 प्रतिशत जोखिम भार दें और (iii) निवेश संविभाग में 'एचएफटी'और 'एएफएस' श्रेणियों में निवेश के न्यूनतम पांच प्रतिशत तक निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि निर्मित करें।

अप्रैल 2002 में घोषित किए गए वर्ष 2002-03 के मौद्रिक और ऋण नीति वक्तव्य में यह उल्लेख किया गया था कि बैंकों के लिए यह उचित होगा वे बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार के बारे में बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासल समिति के मानदंड अपनाएं। तदनुसार, रिज़र्व बैंक की टिप्पणी चाहने वाले चुनिंदा बैंकों को मई 2003 में बासल समिति ढांचे की तर्ज पर बाजार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार की गणना के संबंध में ड्राफ्ट मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए। प्राप्त अभिमतों के आलोक में जून 2004 में इन ड्राफ्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों की समीक्षा की गई थी और 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार बैंकों के लिए अपेक्षित था कि वे दो वर्ष की अवधि में चरणबद्ध रूप से बाजार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार रखें। बैंकों के लिए अपेक्षित था कि वे 'एचएफटी' श्रेणी में शामिल प्रतिभूतियों, स्वर्ण कारोबार की आरंभिक स्थिति, विदेशी मुद्रा कारोबार की आरंभिक स्थिति, व्युत्पन्नियों में कारोबार की आरंभिक स्थितियों और 31 मार्च 2005 तक ट्रेडिंग बुक एक्सपोजरों को हेज करने के लिए किए गए व्युत्पन्नी सौदों संबंधी बाजार जोखिमों के लिए पूंजी रखें। उपर्युक्त के अतिरिक्त बैंकों के लिए अपेक्षित था कि वे 31 मार्च 2006 तक 'एएफएस' श्रेणी में शामिल प्रतिभूतियों संबंधी बाजार जोखिमों के लिए पूंजी रखें।

बासल समिति ने बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना हेतु दो पद्धतियां सुझाई हैं। एक तो मानकीकृत पद्धति है और दूसरा बैंकों का आंतरिक जोखिम प्रबंध माडल है। चूंकि भारत में बैंक अभी भी अतिरिक्त जोखिम प्रबंध मॉडल विकसित करने के उदीयमान चरण में हैं, शुरुआत के लिए बैंकों को मानकीकृत पद्धति अपनाने की अनुमति दी गई थी। मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत बाजार जोखिम मापन की दो प्रधान पद्धतियां हैं, 'परिपक्वताड पद्धति और 'कालावधिड पद्धति। चूंकि 'कालावधि' पद्धति ब्याज दर जोखिम मापन की अधिक सटीक पद्धति है, अतः यह निर्णय लिया गया है कि पूंजी प्रभार तय करने के लिए मानकीकृत कालावधि पद्धति अपनायी जाए। तदनुसार, बैंकों के लिए अपेक्षित है कि वे प्रत्येक आरंभिक स्थिति के लिए अलग-अलग मूल्य संवेदनशीलता की गणना करके सामान्य बाजार जोखिम प्रभार मापें।

प्रारंभ में, बैंकों के लिए लागू बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार वैश्विक आधार पर होंगे। बाद के चरण में, जहां नियंत्रक इकाई बैंक होगा वहां इसका विस्तार सभी समूहों तक किया जाएगा। बैंकों की समग्र न्यूनतम पूंजी आवश्यकता अग्रलिखित (क) और (ख) का योग होगी : (क) ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता, जैसा कि पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकसम्मत मानदंडों में पहले ही निर्दिष्ट है, ट्रेडिंग बुक में समाविष्ट मदों को छोड़कर किंतु इसमें सभी ओटीसी व्युत्पन्नियों संबंधी काउंटर पार्टी ऋण जोखिम शामिल हैं, और (ख) ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिमों के लिए पूंजी आवश्यकता।

बैंकों के लिए अनिवार्य है कि वे अपनी बहियों में बाजार जोखिम प्रबंध सतत आधार पर करें और यह सुनिश्चित करें कि बाजार जोखिमों के लिए पूंजी आवश्यकताओं हेतु सतत आधार पर पूंजी रखी जा रही है अर्थात प्रत्येक कारोबार दिवस की समाप्ति पर। बैंकों के लिए बाजार जोखिमों के प्रति दिन भर के निवेशों (इंट्रा डे एक्सपोजर) की निगरानी और नियंत्रण हेतु एक कठोर जोखिम प्रबंध प्रणालियां रखनी अनिवार्य हैं।

ब्याज दर संबद्ध लिखतों और इक्विटियों के लिए पूंजी प्रभार बैंकों की ट्रेडिंग बुक में इन मदों के मौजूदा बाजार मूल्यों पर आरोपित किया जाता है। मौजूदा बाजार मूल्य निवेशों के मूल्यांकन संबंधी रिज़र्व बैंक के वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित करना होगा। बाजार जोखिम हेतु पूंजी प्रभार के मापन में सभी ब्याज दर व्युत्पन्नी और ट्रेडिंग बुक के तुलन-पत्र में शामिल न की गई लिखतों और ट्रेडिंग बुक निवेशों की हेजिंग के लिए किए गए व्युत्पन्नी सौदे शामिल होने चाहिए जो ब्याज दरों जैसे कि एफआरए और ब्याज दर की आरंभिक स्थितियों, आदि में परिवर्तनों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दिखाएंगे।

श्रेणियों में मूल्यह्रास के कारण किए गए प्रावधान किसी भी वर्ष में यदि जरूरत से ज्यादा पाए जाते हैं तो ऐसी अतिरिक्त राशि लाभ-हानि लेखे में जमा की जानी चाहिए और उसके बराबर की राशि (कर, यदि कोई हों, को घटाकर और सांविधिक आरक्षितों को किए गए अंतरण को घटाकर, जो ऐसे अतिरिक्त प्रावधान पर लागू हो, बची शेष राशि) और वह सामान्य प्रावधानों/हानि आरक्षितों के लिए निर्दिष्ट कुल जोखिम आस्तियों की 1.25 प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा के भीतर टियर II के अंतर्गत शामिल करने हेतु पात्र होगी।

2.63 बढ़ती जटिलता और जोखिम संवेदनशीलता तथा बढ़ती पेंचीदगी की निरंतरता में परिचालनीय जोखिम पूंजी प्रभार की गणना हेतु नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे में विभिन्न विकल्पों का समावेश है। अक्तूबर 2005 में बैंकों को जारी किए गए परिचालनीय जोखिम संबंधी मार्गदर्शी नोट में बैंकों द्वारा परिचालनीय जोखिम प्रबंध के कारगर प्रबंधन और पर्यवेक्षण हेतु ठोस सिद्धांतों का एक सेट प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि, बैंक पूंजी प्रभार की गणना हेतु कोई भी विकल्प अपना सकते हैं। उद्देश्य यह है कि वे उक्त मार्गदर्शी नोट में दिए गए ढांचे के अनुरूप अपनी परिचालनीय जोखिम प्रबंध प्रणालियों के लिए एक बेंचमार्क बना सकते हैं और उससे भी ज्यादा जटिल दृष्टिकोण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। परिचालनीय जोखिम के प्रबंधन हेतु ढांचे का डिज़ाइन और संरचना बैंक के कारोबार के आकार और जटिलता, जोखिम दर्शन, बाजार बोध और पूंजी के प्रत्याशित स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। अतः वास्तविक दृष्टिकोण हर बैंक के लिए भिन्न-भिन्न होगा।

एक्सपोज़र मानदंड और जोखिम भार

2.64 ऋण के संकेंद्रण से बचने के लिए रिज़र्व बैंक ने व्यक्तियों और समूह उधारकर्ताओं को बैंकों के एक्सपोज़र संबंधी विनियामक सीमाएं निर्दिष्ट की हैं। इसने बैंकों को यह भी सूचित किया है कि वे विशेष उद्योग अथवा क्षेत्रों के लिए अपने एक्सपोज़रों की सीमाएं निर्धारित करें। एकल और समूह उधारकर्ताओं के लिए ऋण एक्सपोजर सीमा निधियों के क्रमशः 15 प्रतिशत और 40 प्रतिशत निर्धारित की गई है जिसमें एकल और समूह उधारकर्ताओं के लिए बुनियादी संरचना के निधीयन हेतु क्रमशः 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा निर्दिष्ट की गई है। इसके अतिरिक्त बैंक अपवादात्मक परिस्थितियों में अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से किसी उधारकर्ता के एक्सपोज़र को पूंजी निधियों के 5 प्रतिशत तक और बढ़ा सकते हैं। विदेशी मुद्रा में उधार लेने और देने के साथ-साथ ऐसे विदेशी मुद्रा ऋणों की हेजिंग पर भी उच्चतम सीमा मौजूद है। पूंजी बाजार और संवेदनशील क्षेत्रों के एक्सपोज़रों पर भी उच्चतम सीमा बनाए रखने का कार्य जारी रहेगा। बैंकिंग क्षेत्र में हो रही गतिविधियों के मद्देनज़र रिज़र्व बैंक ने एक्सपोज़र मानदंडों को परिष्कृत करने और सुदृढ़ बनाने के लिए 2005-06 में अनेक उपाय किए।

2.65 स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋणों में हो रही तेज वृद्धि और ऐसे एक्सपोज़र में खड़ी होनेवाली प्रणालीगत जोखिमों को देखते हुए मार्च 2006 में बैंकों को सूचित किया गया था कि स्थावर संपदा क्षेत्र से संबंधित ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय वे यह सुनिश्चित करें कि उधारकर्ताओं ने उस परियोजना के लिए जहां कहीं भी अपेक्षित हो, सरकार/स्थानीय सरकारों / अन्य सांविधिक प्राधिकारियों से पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रक्रिया से ऋण अनुमोदन प्रक्रिया प्रभावित न हो, बैंकों को सूचित किया गया था कि प्रस्तावों को सामान्य प्रक्रिया अपनाते हुए स्वीकृति तो दी जा सकेगी लेकिन उधारकर्ता को ऋण संवितरण तभी किया जाए जब उधारकर्ता ने सरकारी प्राधिकारियों से अपेक्षित अनुमति प्राप्त कर ली हो।

2.66 वाणिज्यिक स्थावर संपदा को बैंकों के एक्सपोज़र पर जोखिम भार जुलाई 2005 से 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया गया तथा अप्रैल 2006 में और बढ़ाकर 150 प्रतिशत कर दिया गया। वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र के एक्सपोज़र में शामिल हैं : (क) वाणिज्यिक स्थावर संपदाओं के बंधक द्वारा जमानत प्राप्त निधि आधारित और निधीतर आधारित एक्सपोज़र और (ख) जहां वाणिज्यिक स्थावर संपदा के मूल में एक्सपोज़र हैं, बंधक समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश और अन्य जमानती एक्सपोज़र हैं। बाजार स्थितियों के मद्देनज़र विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) स्थापित करने वाली इकाईयों अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाइयां अधिगृहीत करने के लिए बैंकों के एक्सपोज़र जिसमें स्थावर संपदा शामिल है, को वाणिज्यिक स्थावर संपदा में एक्सपोज़र माना जाएगा।

2.67 हाल की अवधि में स्थावर संपदा क्षेत्र के अग्रिमों में हुई वृद्धि को देखते हुए बैंकों को सूचित किया गया था कि वे इसमें निहित जोखिमों को सीमित रखने के लिए एक उचित जोखिम प्रबंध प्रणाली स्थापित करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे ऐसे ऋणों को स्वीकृत / संवितरित करने से पहले संबद्ध दस्तावेज़ों की जांच और प्रलेखन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करें। 29 जून 2005 को रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि वे अपने स्थावर संपदा एक्सपोज़र के संबंध में निदेशक मंडल अधिदेशाधीन नीति रखें जिसमें एक्सपोज़र सीमाएं, मानी जानेवाली जमानतें, रखा जानेवाला मार्जिन, स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी/ स्तर और वित्तपोषित किए जानेवाले क्षेत्र को कवर किया गया हो। बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे कतिपय शीर्षों के अंतर्गत अपने स्थावर संपदा एक्सपोज़र रिपोर्ट करें और स्थावर संपदा क्षेत्र को अपने सकल एक्सपोज़र के साथ-साथ उनका अलग-अलग विवरण अपनी वार्षिक रिपोर्टों में प्रकट करें।

2.68 26 जुलाई 2005 से पूंजी बाजार एक्सपोज़रों पर ऋण जोखिम हेतु जोखिम भार 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया गया है। पूंजी बाजार एक्सपोज़र में शामिल हैं : (क)

इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों और डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख पारस्परिक निधियों की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश और (ख)इक्विटी शेयरों (प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव/कर्मचारी स्टाक विकल्प योजनाओं सहित), बांडों और डिबेंचरों, इक्विटी उन्मुख पारस्परिक निधियों में निवेश हेतु लोगों को शेयरों की बिना पर अग्रिम और (ग) शेयर दलालों को जमानती और बेजमानती अग्रिम तथा शेयर दलालों और मार्केट मेकर्स की ओर से जारी की जानेवाली गारंटियां। अप्रैल 2006 में जारी 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में यह निर्णय लिया गया था कि उद्यम पूंजी निधियों में बैंक के कुल एक्सपोज़र को उसके पूंजी बाजार एक्सपोज़र का एक अंग माना जाए। तदनुसार, बैंकों के लिए अपेक्षित था कि वे ऐसे एक्सपोज़रों के लिए 150 प्रतिशत जितना ऊंचा जोखिम भार लगाएं। अगस्त 2006 में उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) में किए गए सभी निवेश इक्विटी के समकक्ष माने जाएंगे तथा इसलिए इन्हें पूंजी बाजार एक्सपोज़र की उच्चतम सीमाओं (इक्विटी और इक्विटी संबद्ध लिखतों में प्रत्यक्ष निवेश की उच्चतम सीमा एवं समग्र पूंजी बाजार निवेश की उच्चतम सीमा) के अनुपालनार्थ हिसाब में लिया जाएगा और ऐसे एक्सपोज़र्स के लिए निर्दिष्ट की गई सीमाएं उद्यम पूंजी निधियों में निवेश पर भी लागू होंगी।

2.69 ज्यादा कंपनियों द्वारा कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना (ईएसओपी) प्रस्तावित करने और अपने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों में कर्मचारियों का कोटा निर्धारित करने को देखते हुए की कि बैंक कर्मचारियों को उनकी अपनी कंपनियों के शेयर खरीदने में सहायता करने के लिए 50,000 रुपए अथवा छह महीने के वेतन के बराबर, जो भी कम हो, तक वित्तीय सहायता उपलब्ध करा सकते हैं, इस अनुदेश की 2004 में समीक्षा की गई थी। बैंकों को सूचित किया गया था कि उपुर्यक्त संदर्भित अनुदेश ईएसओपी अथवा आइपीओ के अंतर्गत शेयर खरीदने के लिए बैंकों द्वारा अपने ही कर्मचारियों को इस प्रकार की वित्तीय सहायता देने के लिए लागू नहीं होंगे। पहले बैंकों को सूचित किया गया था कि वे ईएसओपी के अंतर्गत उनकी अपनी कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए कर्मचारियों को इन शेयरों की खरीद मूल्य के 90 प्रतिशत अथवा 20 लाख रुपए, इनमें से जो भी कम हो, की सीमा तक वित्त पोषित कर सकते हैं। तथापि, यह नोटिस किया गया था कि कुछ बैंकों ने अपने बैंक के शेयर खरीदने के लिए कर्मचारियों / उनके द्वारा गठित कर्मचारी न्यासों को नकद आधार पर ऋण दिये। अतः, 27 दिसंबर 2005 को यह स्पष्ट किया गया था कि बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को अनुमति नहीं है कि वे ईएस ओपी /आइपीओ के अंतर्गत अथवा द्वितीयक बाजार से अपने (बैंकों) स्वयं के शेयर खरीदने के प्रयोजन से अपने कर्मचारियों/ उनके द्वारा गठित कर्मचारी न्यासों तक को अग्रिम दें। यह प्रतिबंध, चाहे अग्रिम जमानती हों या बेजमानती सभी पर लागू होगा।

जोखिम प्रबंध

2.70 बासल II का लक्ष्य आधुनिक जोखिम प्रबंध तकनीकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना और यह सुनिश्चित करना है कि बैंक की जोखिम प्रबंध क्षमताएं उनके कारोबार में निहित जोखिमों के अनुरूप हैं। बासल II की अपेक्षा है कि जोखिम प्रबंध ढांचे का डिजाइन कारोबार के आकार और उसकी जटिलता, जोखिम दर्शन, बाजार बोध और पूंजी के प्रत्याशित स्तर के आधार पर बैंकों की अपनी आवश्यकता उन्मुख हो। तथापि, बैंक की जोखिम प्रबंध प्रणालियां कारोबार में परिवर्तन, आकार, बाजार की चाल (डायनामिक्स) और भविष्य में बैंकों द्वारा नवोन्मेषी उत्पाद शुरू करने के प्रति ग्राह्य होनी चाहिए।

2.71 बैंकों के लिए अनिवार्य है कि वे कारोबार निरंतरता सुनिश्चित बनाए रखने के लिए कारोबार को अस्त व्यस्त होने और प्रणाली फेल होने की स्थिति के लिए तैयार रहें। इस संबंध में, अप्रैल 2005 में विस्तृत मार्गदर्शी दिशा-निदेश जारी किए गए थे जिनमें अपेक्षा की गई थी कि एक निर्धारित समय सीमा के भीतर एक सुदृढ़ सूचना जोखिम प्रबंध प्रणाली सहित कारोबार निरंतरता उपाय करना। इन मार्गदर्शी दिशा-निदेशों में एक विस्तृत कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) प्रक्रिया हेतु प्रौद्योगिकी और गैर-प्रौद्योगिकी संबद्ध दिशा-निदेश का समावेश था। हाल ही में कुछ शहरों में आई अप्रत्याशित बाढ़ और परिणामस्वरूप इससे प्रभावित हुए कुछ बैंकों के इलेक्ट्रानिक डिलीवरी चैनलों की रिपोर्टों ने बैंकों में सुदृढ़ कारोबार निरंतरता योजना की आवश्यकता को और भी दृढ़ता प्रदान की है।

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण

2.72 वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान जारी किए गए आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण से संबंधित विवेकसम्मत मानदंडों को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम मानकों के समकक्ष लाने के लिए उनकी निगरानी की जाती है और उन्हें परिष्कृत किया जाता है। इस बात को रखते हुए 2005-06 में अनेक उपाय प्रारंभ किए गए थे। नवंबर 2005 में बैंकों के कृषि और लघु एवं मध्य उद्यम क्षेत्रों को बैंकों के प्रत्यक्ष अग्रिमों को छोड़कर 'मानक आस्तियों' के लिए सामान्य प्रावधानीकरण अपेक्षा 0.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.40 प्रतिशत कर दी गई थी। मई 2006 में, विशिष्ट क्षेत्रों यथा वैयक्तिक ऋण, पूंजी बाजार एक्सपोज़र के रूप में पात्र ऋण और अग्रिम, 20 लाख रुपए से अधिक के आवास ऋण और वाणिज्यिक स्थावर संपदा ऋण के संबंध में मानक अग्रिमों पर बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के लिए सामान्य प्रावधानीकरण अपेक्षा 0.40 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.0 प्रतिशत कर दी गई है। इस प्रकार बैंकों के लिए वैश्विक ऋण निवेश संविभाग आधार पर निधीयित बकायों के लिए तीन अलग-अलग दरों पर मानक आस्तियों के लिए न्यूनतम सामान्य प्रावधान

करना अपेक्षित है। अब तक की भांति ये प्रावधान अनुमत सीमा तक पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों हेतु टियर II पूंजी में शामिल किए जाने हेतु पात्र होंगे।

2.73 विद्यमान दिशा-निदेशों के अनुसार अवमानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण जमानती एक्सपोज़र के लिए 10 प्रतिशत पर और बेजमानती एक्सपोज़रों के लिए 20 प्रतिशत पर करना अपेक्षित है। संदिग्ध आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण का उस अवधि के आधार पर जिस अवधि के लिए वह आस्ति संदिग्ध रही, क्रम निर्धारण किया जाता है। मौजूदा समय में जमानती हिस्से के लिए प्रावधानीकरण 20 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत की सीमा में अलग-अलग रहता है जबकि गैर-जमानती हिस्से पर यह 100 प्रतिशत है।

2.74 ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान विवेकपूर्ण दिशा-निदेशों के अनुसार प्रावधानों के संदर्भ में अस्थायी (फ्लोटिंग) प्रावधान निर्धारित करने का उपयोग कुछ मामलों में लाभों को सरल बनाने के लिए किया गया है। अतः जून 2006 में अस्थायी प्रावधानों, अर्थात विशेष अनर्जक आस्तियों के संबंध में जो प्रावधान नहीं किए गए हैं या मानक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक अपेक्षाओं से अधिक किए गए हैं, के उपयोग, निर्माण, लेखांकन और प्रकटीकरण के संबंध में पुनरीक्षित अनुदेश जारी किए गए थे (बॉक्स II.10)।

2.75 बैंकों के लिए लेखांकन मानकों को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में रिज़र्व बैंक सतत कार्य कर रहा है। कार्यदल (अध्यक्ष : श्री एन.डी.गुप्ता) द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर लेखांकन मानकों से संबंधित विस्तृत दिशा-निदेश मार्च 2003 में जारी किए गए थे। इन लेखांकन मानकों का बैंकों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल 2004 में दिशा-निदेश जारी किए गए थे। लेखा-परीक्षकों ने अपने वित्तीय विवरणों में किसी भी लेखांकन मानक के अनुपालन न किए जाने के बारे में कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आइसीएआइ) 'वित्तीय लिखतें : निर्धारण और मापन' संबंधी लेखांकन मानक तैयार कर रहा है जो आइएएस 39 के बराबर का भारतीय रूप है। बैंकों द्वारा निवेशों के वर्गीकरण और मूल्यांकन से संबंधित दिशा-निदेशों की समीक्षा करने और उन्हें आइएएस 39 के अनुरूप बनाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा एक आंतरिक दल गठित किया गया था। इस दल ने देश विशेष संबंधी सर्वथा भिन्न परिस्थितियों के ध्यान में रखते हुए निवेशों के वर्गीकरण और मूल्यांकन से संबंधित मौजूदा विवेकसम्मत दिशा-निदेशों को आइएएस 39 के अनुरूप बनाने पर ध्यान केंद्रित रखा। व्यापक प्रसार और अभिमतों हेतु इस दल की रिपोर्ट रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर 12 जुलाई 2006 को रखी गई थी।

2.76 लेखांकन मानक (एएस) 11 (संशोधित 2003) के अनुपालन के संबंध में मार्च 2005 में जारी किए गए दिशा-निदेशों के आंशिक आशोधन में लेनदेन की तारीख को विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिकार्ड करने से संबंधित प्रारंभिक सीमाएं अप्रैल 2006 में संशोधित की गई थीं। बैंकों को सूचित किया गया था कि (i) पूर्ववर्ती सप्ताह की साप्ताहिक औसत बंद दर को लेनदेन की तारीख की वास्तविक दर के सन्निकट नहीं माना जाएगा यदि (क) पूर्ववर्ती सप्ताह की साप्ताहिक औसत बंद दर और (ख) लेनदेन की तारीख को मौजूद विनिमय दर के बीच का अंतर

बॉक्स II.10 : अस्थायी प्रावधान - संशोधित मानदंड

अस्थायी प्रावधानों के उपयोग, लेखांकन और प्रकटीकरणों के संबंध में जून 2006 में जारी किए गए संशोधित दिशा-निदेशों के विस्तृत पहलू नीचे उल्लिखित हैं :

- अस्थायी (फ्लोटिंग) प्रावधानों का उपयोग अनर्जक आस्तियों के संदर्भ में विशिष्ट प्रावधान करने या मानक आस्तियों के लिए विनियामक प्रावधान करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अस्थायी प्रावधानों का उपयोग रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से असाधारण परिस्थितियों में सिर्फ आकस्मिकता के लिए अनर्जक (इंपेयर्ड) खातों में विशेष प्रावधान करने के लिए किया जाना चाहिए।
- बैंकों के निदेशक बोर्डों को एक अनुमोदित नीति बनानी चाहिए जिसमें तय हो कि रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से अनर्जक (इंपेयर्ड) खातों में विशेष प्रावधान करने के लिए कौन-सी परिस्थितियाँ असाधारण मानी जाएंगी।
- अस्थायी (फ्लोटिंग) प्रावधान किस स्तर पर निर्मित किये जा सकते हैं इस संबंध में बैंक के निदेशक बोर्ड को एक अनुमोदित नीति बनानी चाहिए।
- बैंक को 'अग्रिमों' तथा 'निवेशों' के लिए अलग-अलग अस्थायी (फ्लोटिंग) प्रावधान रखने चाहिए तथा निर्धारित दिशा-निदेश 'अग्रिमों' तथा 'निवेश' दोनों ही संविभागों के लिए धारित अस्थायी प्रावधानों पर लागू होंगे।
- अस्थायी (फ्लोटिंग) प्रावधान लाभ और हानि खाते में नामे कर पलटे नहीं जा सकते हैं।
- उनका उपयोग सिर्फ ऊपर दर्शाई गई असाधारण परिस्थितियों में विशिष्ट प्रावधान करने के लिए ही किया जा सकता है। जब तक ऐसा उपयोग नहीं किया जाता तब तक निवल अनर्जक आस्तियों के प्रकटीकरण का निर्धारण करने के लिए इन प्रावधानों को सकल अनर्जक आस्तियों से घटाया जा सकता है अथवा वैकल्पिक रूप में इन्हें कुल जोखिम भारित आस्तियों की 1.25 प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा के भीतर टियर II पूंजी के एक भाग के तौर पर माना जा सकता है।
- बैंकों को तुलनपत्र में 'लेखे पर टिप्पणियाँ' में अस्थायी प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित के बारे में व्यापक प्रकटीकरण करना चाहिए (क) अस्थायी प्रकटीकरण खाते में अथशेष (ख) लेखा वर्ष में की गई अस्थायी प्रावधानों की मात्रा (ग) वर्ष के दौरान किए गए आहरण का प्रयोजन और मात्रा तथा (घ) अस्थायी प्रावधान खाते में अंतशेष।
- बैंक, वर्तमान विनियमों के अंतर्गत निर्धारित दरों से उच्च दरों पर अग्रिमों के लिए विशिष्ट प्रावधानों को अस्थायी प्रावधान नहीं माना जाएगा।

(ख) के साढ़े तीन प्रतिशत से अधिक है और (ii) असमाकलित विदेशी मुद्रा परिचालनों के संबंध में तिमाही औसत बंद दर लेनदेन की तारीख की वास्तविक दर के सन्निकट नहीं मानी जाएगी यदि (क) तिमाही औसत बंद दर और (ख) लेनदेन की तारीख को मौजूद विनिमय दर का अंतर (ख) के सात प्रतिशत से अधिक हो। तथापि, बैंकों को प्रोत्साहित किया गया था कि वे भारतीय शाखाओं के विदेशी मुद्रा लेनदेनों के साथ-साथ समाकलित विदेशी मुद्रा परिचालनों को रिकार्ड करने और लेनदेन की तारीख को मौजूद विनिमय दर पर असमाकलित विदेशी मुद्रा परिचालनों की आय और व्यय संबंधी दोनों ही मदों को रूपांतरित करने की व्यवस्था से स्वयं को लैस करें।

2.77 अनुसूचित वाणिज्यि बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को मई 2006 में सूचित किया गया था कि वे तुलन-पत्र के साथ संलग्न 'लेखे पर टिप्पणियां' के अंतर्गत 'लाभ-हानि लेखे' में 'व्यय' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधानों और आकस्मिकताओं का विवरण उपलब्ध कराने वाली सूचना निम्नानुसार दें : (i)निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान, (ii) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान; (iii) मानक आस्ति के लिए प्रावधान; (iv) आयकर के लिए प्रावधान और (v) अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (विवरणों सहित)।

मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण पर दिशानिदेश

2.78 रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2005 में मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण पर ड्राफ्ट दिशानिदेश जारी किए हैं। जोखिम उठाने वाले सभी पक्षों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर 01 फरवरी 2006 में मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण पर अंतिम दिशानिदेश जारी किए गए। ये दिशानिदेश गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों समेत वित्तीय संस्थानों पर लागू हैं (बाक्स II.11)।

बॉक्स II.11 : मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण पर दिशानिदेश

प्रतिभूतीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें त्वरित नकदी भुगतान के बदले आस्ति को निधि / अर्थशोधन में अक्षम अपरोक्ष विशेष प्रयोजन (एसपीवी) को बेच दिया जाता है। आस्तियों के विचाराधीन पूल से प्राप्त नकदी प्रवाह का उपयोग एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियों के शोधन में किया जाता है। इस तरह से देखा जाए तो प्रतिभूतिकरण दो चरणों की प्रक्रिया अपनाता हैं। प्रथम चरण में एकल आस्ति या पूल की बिक्री होती है तथा त्वरित नकदी भुगतान के बदले 'अर्थशोधन में अक्षम अपरोक्ष' एसपीवी को आस्तियों के पूल की बिक्री होती है। दूसरे चरण में, पुनः पैकेजिंग तथा प्रतिभूति हितों की बिक्री शामिल है जिसमें आस्ति या आस्तियों के पूल को तृतीय पक्ष निवेशक को विपणनीय ऋण प्रतिभूतियां जारी करने से होनेवाले आगम नकदी प्रवाह के दावे भी शामिल हैं।

आस्तियों के प्रतिभूतिकरण पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिदेशों की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

- इस बिक्री के परिणामस्वरूप जो आस्तियां नए स्वत्वाधिकारी अर्थात एसपीवी को बेची गई हैं उनका इनके मूल स्वत्वाधिकारी से तुरंत वैधानिक अलगाव हो जाएगा।
- एसपीवी को निर्दिष्ट मानक पूरे करने होंगे ताकि मूल स्वत्वाधिकारी जो आस्तियां एसपीवी को अंतरित करता है वो उसे मूल बिक्री के रूप में मान सके और इसने जो प्रतिभूतिकरण जोखिम माने हों उनसे संबंधित पूंजी पर्याप्तता के विवेकसम्मत दिशानिदेश और अन्य पक्षों को पूरा कर सके। इस मानक में मुख्यतः शामिल हैं : (i) मूल स्वत्वाधिकारी तथा एसपीवी के बीच होनेवाले किसी भी लेनदेन में एक निश्चित दूरी बनी रहनी चाहिए; (ii) एसपीवी के साथ होने वाले किसी भी लेनदेन में भविष्य में होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई के लिए जानबूझकर कोई जगह नहीं छोड़ी जानी चाहिए; (iii) एसपीवी तथा ट्रस्टी को चाहिए कि उनके नाम में या किसी अन्य तरह से या अपने टाइटिल या नाम में कुछ ऐसा न लिखें जिससे मूल स्वत्वाधिकारी से कोई संबंध स्थापित होता हो; और (iv) एसपीवी मूल स्वत्वाधिकारी से अलग आत्मनिर्भर हो; और एसपीवी अर्थशोधन में अक्षम अपरोक्ष तथा गैर-विवेकाधिकार वाला हो।
- जब बैंक ऋण वृद्धि उपलब्ध कराएं तो माने गए ऋण जोखिम के प्रति विशेष प्रयोजन के साधन या अपने निवेशकों के पास पूंजी रखें, चाहे यह सुनिश्चित रूप में हो या निहित रूप में हो। ऋण वृद्धि सुविधा में वे सभी व्यवस्थाएं शामिल हैं जो एसपीवी को उपलब्ध कराई जाती हैं, जिनके परिणामस्वरूप बैंक एसपीवी या इसके निवेशकों की हानियों को समाहित कर सकें। ऐसी सुविधाएं मूल स्वत्वाधिकारी तथा तृतीय पक्ष दोनों द्वारा ही उपलब्ध कराई जा सकती हैं।
- अंतर्निहित आस्तियों से नकदी प्रवाह की प्राप्ति और निवेशक को किए जाने वाले भुगतान के बीच आनेवाले समय अंतराल के मद्देनजर एसपीवी के समक्ष आनेवाली समस्याओं को सुलझाने के उद्देश्य से चलनिधि सुविधा उपलब्ध कराई गई। चलनिधि सुविधा को निश्चित शर्तों को पूरा करना चाहिए ताकि ऋण वृद्धि और/या ऋण सहायता के रूप में सुविधा के संभाव्य उपयोग को रोका जा सके।
- स्वत्वाधिकारी या तृतीय पक्ष प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए जहां बैंक सेवा प्रदाता की भूमिका निभा रहा हो वहां उसे निश्चित शर्तों को पूरा करना होगा और जहां कहीं इन शर्तों को पूरा नहीं किया गया होगा वहां यह समझा जाएगा कि एसपीवी या निवेशक को चलनिधि सुविधा प्रदान की गई है और तदनुसार पूंजी पर्याप्तता के लिए इसकी गणना की जाएगी।
- चूंकि एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूतियां गैर एसएलआर प्रतिभूतियां होती हैं इस लिए इन प्रतिभूतियों में बैंक के निवेश पर वे सारे विवेकसम्मत मानक लागू होंगे जिन्हें समय-समय पर रिज़र्व बैंक गैर- एस एल आर निवेश पर लगता है।
- प्रतिभूतियों में निवेशक के लिए प्रतिपक्ष एस पी वी न होकर अंतर्निहित आस्तियां होंगी जिनके संबंध में बाध्यताधारी/ उधारकर्ता से नकदी प्रवाह अपेक्षित है। संघीभूत जोखिमों के प्रबंधन और वर्तमान विवेकसम्मत जोखिम मानकों के अनुपालन के लिए किसी विशेष उधारकर्ता / उधारकर्ता समूह, उद्योग या भौगोलिक क्षेत्र में समग्र जोखिम की गणना करने के उद्देश्य से इसका ध्यान रखा जाए। यहां इसका ध्यान रखना होगा कि पूल में बाध्यताकारियों का घटक 5 प्रतिशत हो या पूल में प्राप्तियों का अंश अधिक हो या 5 करोड़ रुपए हो (इनमें से जो कम हो)।
- बैंक केवल नकदी आधार पर आस्तियों को एस पी वी को बेच सकते हैं और बिक्री प्राप्तियां एस पी वी को आस्ति अंतरित होने तक प्राप्त हो जानी चाहिए। अतः, बिक्री के कारण होने वाली हानि की गणना तदनुसार की जाए और जिस अवधि में बिक्री हुई है उस अवधि के लाभ और हानि लेखे में इसे दिखाया जाए। बिक्री से प्राप्त लाभ/प्रीमियम जारी या एसपीवी द्वारा जारी प्रतिभूति की वैधता अवधि में चुकाया जाए।

2.79 जोखिम उठाने वालों को सूचित किया गया कि 1 फरवरी 2006 से पहले किए गए प्रतिभूतीकरण लेनदेनों के संसाधन पर मामले-दर-मामले के आधार पर रिज़र्व बैंक इस दृष्टिकोण से विचार करेगा कि विवेकसम्मतता के मूलभूत सिद्धांतों के अनुपालन को सुनिश्चित किया गया है या नहीं।

बैंकों द्वारा गैर निष्पादक आस्तियों (एनपीए) का प्रबंध

2.80 चूंकि समय के साथ गैर ष्पिादक आस्तियों की वसूली के अवसर/मात्रा घट गई है अतः रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा एन पी ए की वसूली में तेजी लाने के लिए हाल के वर्षों में कई कदम उठाए हैं। इसके लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लोक अदालत और कंपनी ऋण पुनः संरचना प्रणाली (सीडीआरएम) तथा सरफेसी अधिनियम जैसे कई चैनल वसूली के लिए बनाए गए हैं।

2.81 अपने बेहतर प्रयासों और निश्चयों के बावजूद कंपनियां कई बार वित्तीय संकट में फंस जाती हैं क्योंकि इनके लिए जिम्मेदार कारक कई बार इनके नियंत्रण के बाहर के होते हैं और कभी-कभी कुछ आंतरिक कारण भी होते हैं। कंपनियों को अस्थाई वित्तीय परेशानियों से उबारने के साथ-साथ बैंक और वित्तीय संस्थानों द्वारा उधार दी गई राशि को सुरक्षित रखने के लिए वास्तविक मामलों में पुनः संरचना के लिए समय पर सहायता प्रदान करना आवश्यक समझा गया है। विविध देशों के अनुभव के आधार पर कंपनी ऋण पुनः संरचना प्रणाली (सीडीआरएम) बनाई गई और अगस्त 2001 में बैंकों के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिदेश जारी किए गए। सितंबर 2004 में सी डी आर एम की योजना की समीक्षा के लिए विशेष समूह (अध्यक्ष : श्रीमती एस. गोपीनाथ) गठित किया गया। समूह ने वर्तमान योजना के दायरे को बढ़ाने और इसे अधिक दक्ष बनाने के लिए कुछ परिवर्तनों / सुधारों को करने का सुझाव दिया। विशेष समूह की सिफारिशों और प्राप्त फीडबैक के आधार पर मसौदा दिशानिदेश तैयार किए गए और सभी वाणिज्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को नवंबर 2005 में जारी कर दिए गए (बाक्स II.12)।

2.82 एन पी ए के लिए एक अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराने और स्वस्थ गौण बाजार विकसित करने के दृष्टिकोण से जुलाई 2005 में एन पी ए की बिक्री / खरीद से संबंधित दिशानिदेश जारी किए गए। इनमें बैंकों द्वारा गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों (एन पी एफ ए) की खरीद/बिक्री से संबंधित प्रक्रिया को शामिल किया गया है। इस प्रक्रिया में मूल्यांकन और मूल्य निर्धारण पक्ष; और आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण, वसूली के खातों, पूंजी पर्याप्तता और जोखिम आदि मानदंडों और प्रकटीकरण अपेक्षाओं से संबंधित विवेकसम्मत मानदंड शामिल हैं (बाक्स II.13)।

अपने ग्राहक को जानिए संबंधी दिशानिदेश तथा धनशोधन निवारण मानक

2.83 रिज़र्व बैंक ने 29 नवंबर 2004 को 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी)' तथा 'धन-शोधन निवारण (एएलएम)' पर बैंकों को व्यापक दिशानिदेश जारी किए। बाद में बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे इन मानकों के प्रावधानों के अनुपालन में स्वयं को 31 दिसंबर 2005 से पहले पूर्ण तैयार करना सुनिश्चित करें। 23 अगस्त 2005 को खाता खोलने के बारे में संशोधित दिशानिदेश जारी किए गए ताकि निम्न आय वर्ग के **लोगों** की

बाक्स II.12 : कंपनी ऋण पुनः संरचना प्रणाली (सीडीआरएम) - संशोधित दिशानिदेश

संशोधित योजना की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :

- योजना उन सत्ताओं पर भी लागू की जाए जिनका बकाया जोखिम 10 करोड़ रुपए या इससे अधिक हो।
- निर्णय लेने की प्रक्रिया और अधिक न्यायसंगत बनाने को सुनिश्चित करने के लिए मात्रा में 75 प्रतिशत लेनदारों के समर्थन के अलावा संख्या में 60 प्रतिशत लेनदारों का समर्थन अपेक्षित होना।
- उन मामलों को छोड़कर जिनमें धोखाधड़ी या नाजायज इरादों के साथ निधियों का विपथन किया गया हो, जानबूझकर चूक करनेवालों के कुछ मामलों को निपटाने के लिए कोर समूह को विवेकाधिकार देना।
- संदर्भ तारीख को चल रहे आस्ति वर्गीकरण की बहाली का लिंक कंपनी ऋण पुनः संरचना कक्ष को देना ताकि पैकेज अनुमोदित होने की तिथि के चार महीने के अंदर सीडीआर पैकेज का कार्यान्वयन हो सके।
- आस्ति वर्गीकरण के मामले में विनियामक रियायतों को प्रतिबंधित करना और जहां कहीं पैकेज को अनुकूल परिवर्तन की अवधि से संबंधित मानकों को पूरा करना हो तथा न्यूनतम घाटा हो और प्रवर्तकों द्वारा निधि ड़ाली जा रही हो वहां प्रथम पुनः संरचना के लिए प्रावधानीकरण करना।
- बैंकों और वित्तीय संस्थानों में आर्थिक घाटे की गणना करने के लिए प्रक्रिया स्थापित करना।
- सीडीआरएम के लिए मुख्य-मुख्य दिशानिदेश उपलब्ध कराने तक रिज़र्व बैंक की भूमिका निश्चित करना।
- ज्यादा पारदर्शिता उपलब्ध कराने के लिए तुलन-पत्रक में प्रकटीकरण को बढ़ाना।
- अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताओं के लिए मीयादी देनदारों तथा चल पूंजी देनदारों द्वारा समानुपातिक आधार पर हिस्सा बंटाना।
- निकासी विकल्प को अधिक नमनीय बनाने के लिए सीडीआर प्रणाली के एक अंग के रूप में एकमुश्त निपटान प्रणाली (ओटीएस) की अनुमति देना।
- ब्याज को निधीयन देते समय या शेष मूलधन के बदले में और ऐसे लिखतों के मूल्यांकन के दौरान अधिगृहीत किए गए गैर एसएलआर लिखतों के विनियामक व्यवहार में संशोधन करना।

बॉक्स II.13 : एनपीए की बिक्री/खरीद संबंधी दिशानिदेश - मुख्य-मुख्य बातें

इन दिशानिदेशों से संबधित मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

- ये दिशानिदेश उन सभी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर लागू हैं जो अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (प्रतिभूतीकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों को छोड़कर) को/से गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों (एनपीएफए) को बेचते/खरीदते हैं।
- बहु/संघीय बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत आने वाली आस्तियों समेत कोई भी वित्तीय आस्ति इन दिशानिदेशों के तहत बिक्री/खरीद का पात्र है बशर्ते कि वह विक्रेता बैंक की बही में गैर निष्पादक आस्ति/गैर निष्पादक निवेश हो।
- जो बैंक एनपीएफए की खरीद/बिक्री कर रहा हो उसे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि खरीद/बिक्री बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार की जाए।
- नीति बनाते समय बोर्ड को स्वयं इससे संतुष्ट होना चाहिए कि एन पी एफ ए खरीदने के लिए बैंक के पास पर्याप्त दक्षता है और इस लेनदेन को सक्षमतापूर्वक पूरा कर लिया जाएगा जिससे कि बैंक का मूल्य संवर्धन होगा। बोर्ड को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी गतिविधियों में लगने वाले खरीदार बैंक जोखिमों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उचित प्रणाली और प्रक्रिया स्थापित करते हैं।
- संभाव्य नकदी प्रवाह के सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि के अंदर नकदीकरण की संभावना होती है और संभाव्य नकदी प्रवाह के 5 प्रतिशत का प्रत्येक छमाही में नकदीकरण होना चाहिए।
- दूसरे बैंक को/ से एन पी एफ ए खरीदने/ बेचने वाले बैंक ऐसा 'बिना सहारा लिए' आधार पर करें अर्थात एनपीएफए से संबद्ध समस्त ऋण जोखिम खरीदार बैंक को अंतरित कर दिया जाए। विक्रेता बैंक यह सुनिश्चित करे कि वित्तीय आस्ति की बिक्री होने के बाद बैंक की बही से आस्ति को हटा दिया जाए और बिक्री के पश्चात विक्रेता बैंक पर जानकारी में रही किसी भी तरह की देयता नहीं पड़नी (डिवॉल्व) चाहिए।
- एन पी एफ ए को दूसरे बैंक को बेचने के पश्चात बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बेची गई आस्ति के संबंध में वहां किसी तरह की संलग्नता न रखे और बेची गई वित्तीय आस्ति से संबंधित किसी भी तरह की परिचालनात्मक, वैधानिक और अन्य प्रकार के जोखिम को न स्वीकारें। साथ ही, किसी भी रूप से इस विशेष वित्तीय आस्ति को ऋण वृद्धि/चलनिधि सुविधा की सहायता प्रदान न की जाए।
- बैंक की बही की गैर निष्पादक आस्ति दूसरे बैंक को बेचे जाने की पात्र तभी होगी जब कि विक्रेता बैंक की बही में ये कम-से-कम दो वर्ष तक गैर-निष्पादक आस्ति बनी रही हो।
- बैंकों को एन पी एफ ए केवल नकदी आधार पर ही दूसरे बैंकों को बेचने चाहिए। बिक्री लाभ को सीधे ही प्राप्त किया जाए तथा पूरा बिक्री लाभ प्राप्त होने के बाद ही इस आस्ति को विक्रेता बैंक की बही में से हटाया जाए।
- एन पी एफ ए खरीदने वाला बैंक इसे दूसरे बैंकों को बेचने से पहले कम-से-कम 15 महीने तक अपनी बही में रखे। बैंकों को चाहिए कि जिस बैंक ने एनपीएफए बेचा है उसे आस्ति वापस न बेची जाए।
- बैंकों को पोर्टफोलियो आधार पर खुदरा एनपीएफए के तहत समान पूल खरीद/विक्रय की अनुमति दी गई बशर्ते पूल का प्रत्येक एनपीएफए विक्रेता बैंक की बही में कम-से-कम दो वर्ष तक एन पी एफ ए बना रहा हो। आस्तियों के पूल को क्रेता बैंक की बही में एक आस्ति के रूप में दिखाया जाए।
- खरीदे गए एनपीएफए को खरीदने वाले बैंक की बही में खरीदने की तिथि से 90 दिन की अवधि तक 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया जाए। तत्पश्चात, आस्ति खरीदते समय जो नकदी प्रवाह अपेक्षित था उसके परिप्रेक्ष्य में क्रेता बैंक की बही में वसूली रिकार्ड देखा जाए और फिर इसके आधार पर खरीदी गई वित्तीय आस्ति की आस्ति वर्गीकरण स्थिति निश्चित की जाए।
- क्रेता बैंक की बही में उसी बाध्यताकारी के वर्तमान एक्सपोजर (खरीदी गई वित्तीय आस्ति के अलावा) का आस्ति वर्गीकरण स्थिति उस एक्सपोजर के वसूली रिकार्ड से प्रबंधित होगा और यह अलग होगा।
- क्रेता बैंक द्वारा गैर निष्पादक वित्तीय आस्ति की भुगतान अनुसूची या अनुमानित नकदी प्रवाह में किसी तरह की पुनर्संरचना/पुनः अनुसूचित करना/पुनर्निधारण करने से ये लेखा गैर निष्पादक आस्ति हो जाएगा।
- जब कोई बैंक अपनी गैर-निष्पादक वित्तीय आस्ति को किसी अन्य बैंक को बेचता है तो अंतरण के पश्चात इसे अपनी बही से हटा देता है। यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात किए गए प्रावधान घटाकर निकाला गया बही मूल्य) से कम कीमत पर की जाती है तो इस अंतर को उस वर्ष के लाभ तथा हानि लेखे में नामे किया जाए। यदि बिक्री एनबीवी से अधिक मूल्य पर की जाती है तो अधिक प्रावधान को पलटा न जाए बल्कि इसे अन्य गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों की बिक्री में आई कमी/हानि खाते की भरपाई में उपयोग में लाया जाए।
- अन्य बैंक से खरीदे गए एनपीए में होने वाली वसूली को पहले इसकी अधिग्रहण लागत के प्रति समायोजित किया जाए। अधिग्रहण लागत से अधिक होने वाली वसूली को लाभ के रूप में माना जाए।
- पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य से बैंकों को चाहिए कि अन्य से खरीदे गए एनपीएफए को 100 प्रतिशत जोखिम भार दिया जाए। यदि एनपीए को निवेश के रूप में खरीदा गया है तो इस पर पूंजी प्रभार के लिए बाजार जोखिम भी लगेगा। एनबीएफसी पर पूंजी पर्याप्तता के संबंधित अनुदेश लागू होंगे।
- क्रेता बैंक निर्दिष्ट वित्तीय आस्ति के बाध्यताकारी के जोखिम की गणना करेगा। खरीद के कारण बाध्यताकारी के जोखिम की गणना के पश्चात इन बैंकों को विवेकसम्मत ऋण जोखिम उच्चतम सीमाओं (एकल और सामूहिक दोनों) का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। एनबीएफसी पर एक्सपोजर मानदंडों के संबंधित अनुदेश लागू होंगे।
- दूसरे बैंकों से / को गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियां खरीदने/बेचने वाले बैंकों से अपेक्षित है कि वे खरीदे/बेचे गए एन पी एफ ए के ब्योरों के संबंध में अपने तुलन-पत्रक में 'लेखे पर नोट' के अंतर्गत प्रकटीकरण करें।

बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सुगम हो सके। इस सरल प्रक्रिया से उन लोगों को फायदा होगा जो 50,000 रुपए से अधिक राशि नहीं रखना चाहते हैं और जिनके सभी खातों में मिलाकर पूरे वर्ष में कुल ऋण 1,00,000 रुपए से अधिक होने की आशा नहीं है।

2.84 महाराष्ट्र में आई अप्रत्याशित बाढ़ से प्रभावित हुई विशाल आबादी को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बैंकों को सूचित किया गया कि ऐसे व्यक्तियों का खाता खोलने में वे उदार रवैया अपनाएं ताकि वे सरकार से प्राप्त अनुदान को जमा कर सकें।

2.85 केंद्र सरकार ने 01जुलाई 2005 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत नियम अधिसूचित किए। अधिसूचित नियमों के अनुसरण में, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में वित्तीय आसूचना इकाई - भारत (एफआइयू-इंड) स्थापित की गई ताकि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा बताए गए नकदी और संदेहास्पद प्रकृति के लेनदेनों का संग्रहण, संकलन, मिलान और विश्लेषण किया जा सके। नियम के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय आसूचना इकाई-भारत को संदेहास्पद और नकदी लेनदेनों के बारे में रिपोर्ट करने के लिए बैंकों को एक निश्चित प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा। रिज़र्व बैंक ने 15 फरवरी 2006 को नकदी और संदेहास्पद प्रकृति के लेनदेनों की रिपोर्ट करने के बारे में विस्तृत दिशानिदेश निर्धारित किए। बैंकों को सूचित किया गया कि वित्तीय आसूचना इकाई - भारत को प्रत्येक महीने की 'नकदी लेनदेन रिपोर्ट' (सीआरटी) अगले महीने की 15 तारीख तक प्रस्तुत कर देनी चाहिए। संदेहास्पद प्रकृति के लेनदेनों में यह निश्चय करने के 7 दिन बाद कि नकद या बिना नकद वाला यह लेनदेन या लेनदेनों की शृंखला संदेहास्पद है या नही के बाद 'संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट' (एसटीआर) प्रस्तुत करनी चाहिए। 10 लाख रुपए या इससे अधिक तथा अंतः संबंधित लेनदेनों की ऐसी शृंखला जिसमें लेनदेन एक महीने में 10 लाख रुपए से अधिक हों तो इनकी रिपोर्ट सी टी आर में की जाए। तथापि, 50,000 रुपए से कम के एकल नकदी लेनदेन वित्तीय आसूचना इकाई-भारत के रिपोर्टिंग दायरे से बाहर रखे गए हैं। बैंकों को सूचित किया गया कि अन्य ऐसे सारे लेनदेनों की रिपोर्ट की जाए जिनमें जाली या खोटे करेंसी नोटों और बैंक नोटों का प्रयोग असली नोटों के रूप में किया गया था और जिन मामलों में मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी की गई हो।

2.86 बैंकों के प्रधान अधिकारियों को अनुदेश दिए गए कि किसी लेनदेन को या लेनदेन की शृंखला को संदेहास्पद मानने के पीछे अपने कारण लिखें। जब किसी शाखा या किसी अन्य कार्यालय से संदेहास्पद लेदेन की रिपोर्ट प्राप्त होती है तो सुनिश्चित किया जाए कि निष्कर्ष पर पहुंचने में अनावश्यक देरी न हो। ऐसी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर उन्हें उपलब्ध कराई जाए। बैंकों को सूचित किया गया कि जिन खातों की एसटीआर की गई है उनमें परिचालनों पर कोई प्रतिबंध न लगाया जाए। इस पर जोर दिया जाए कि किसी भी स्तर पर ग्राहक को इसके बारे में 'भनक' न लगने पाए।

पूर्णतर पूंजी खाता परिवर्तनीयता और बैंकिंग क्षेत्र

2.87 पिछले दो दशकों में हुए परिवर्तनों के मद्देनजर पारदर्शी तरीके से पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता की तरफ बढ़ने का महत्व बढ़ रहा है। अतः, भारत सरकार से परामर्श कर रिज़र्व बैंक ने मार्च 2006 में पूंजी खाता के उदारीकरण के उपाय सुझाने हेतु पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर समिति (अध्यक्षः श्री एस.एस.तारापोर) गठित की। 31 जुलाई 2006 को समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और 1 सितंबर 2006 को इसे पब्लिक डोमेन पर डाल दिया गया। पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता के उदारीकरण के लिए समिति ने पांच वर्षों की अवधि में तीन चरणों, अर्थात 2006-07 (प्रथम चरण), 2007-08 तथा 2008-09 (द्वितीय चरण) और 2009-10 तथा 2010-11 (तृतीय चरण), की मोटे तौर पर सिफारिश की। समिति ने महसूस किया कि एफसीएसी युग में बैंकिंग प्रणाली को बाजार की अधिक उथल-पुथल से रूबरू होना पड़ेगा। अतः, बैंकिंग प्रणाली में जोखिम प्रबंधन सक्षमताओं को बढ़ाने तथा विनियामक और पर्यवेक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के साथ-साथ इस बात की आवश्यकता है कि बैंकिंग प्रणाली से संबंधित मसलों को सुलझाया जाए ताकि आघातों को सहने के लिए प्रणाली लोचदार बन सके और अधिक स्थायित्व के साथ अपने परिचालनों को बनाए रख सके। भारतीय वित्तीय प्रणाली में वाणिज्यि बैंकों ने जो महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर रखा है उसके परिप्रेक्ष्य में समिति की राय है कि समुचित नीतिगत उपायों के लिए बैंकिंग प्रणाली केंद्र बिंदु होनी चाहिए। इस संबंध में समिति ने कई विशिष्ट सिफारिशें की हैं (बाक्स II.14)।

2.88 पूर्णतर पूंजी खाता परिवर्तनीयता के संबंध में गठित समिति (एफसीएसी) की सिफारिशों के अनुसरण में अक्तूबर 2006 की मध्यावधिक समीक्षा में यह प्रस्तावित किया गया था कि बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए उधारकर्ता एक वित्तीय वर्ष में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 500 मिलियन अमरीकी डॉलर की मौजूदा सीमा के अलावा अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत 10 वर्ष से अधिक की औसत परिपक्वता वाले अतिरिक्त 250 मिलियन अमरीकी डॉलर उधार लेने के लिए पात्र हैं।जब कि अन्य बाह्य वाणिज्यिक उधार के मानदंड जैसे कि अंतिम उपभोग, आल -इन-कास्ट सीलिंग, मान्यताप्राप्त उधारदाता जैसे मानदंडों का लागू होना जारी रहेगा। तथापि, ऐसे उधारों के लिए 10 वर्ष की अवधि तक समयपूर्व चुकौती और काल/पुट ऑप्शन्स की अनुमति नहीं

बॉक्स II.14 : पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर गठित समिति की रिपोर्ट

बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

विवेकपूर्ण विनियम

- चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम, ऋण जोखिम, प्रतिपक्ष जोखिम और देश जोखिम जैसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाहों से उत्पन्न होनेवाले निर्दिष्ट तथा अंतः - संयोजित जोखिमों का विनियम।
- वित्तीय संस्थानों के चलनिधि प्रबंधन और प्रकटीकरण प्रथाओं में सुधार लाया जाए क्योंकि इससे ये परिपक्वता असंतुलन को रोकने के लिए वैविध्य निधि स्रोत के रूप में प्रेरित होते हैं और ऋण-पूंजी संमिश्र में सुधार होता है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कंपनी नियंत्रण में सुधार इस लक्ष्य के साथ किया जाना चाहिए कि वे परिचालनात्मक स्वायत्ता सुनिश्चित कर सकें और अन्य बैंकों के बराबर आ सकने में सक्षम होने में समर्थ बन सकें।
- इस बात की आवश्यकता है कि कुछ बैंकिंग संस्थानों को रिज़र्व बैंक प्रतिबंधात्मक बैंकिंग लाइसेंस जारी करे ताकि ये अपनी मूलभूत क्षमताओं के दोहन में सक्षम हो जाएं। संप्रति, बैंककारी विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 केवल एक तरह का बैंकिंग लाइसेंस जारी करने की अनुमति देता है अर्थात संपूर्ण बैंकिंग लाइसेंस, जो लाइसेंसधारी बैंक को सारी बैंकिंग गतिविधियां करने की अनुमति देता है।
- कंप्यूटराइजेशन और शाखाओं के बीच कनेक्टिविटी तथा कंप्यूटर सुरक्षा का स्तर अच्छी तरह विकसित वित्तीय बाजारों के मानकों के अनुरूप होना चाहिए।
- प्रणाली को विभेदक पूंजी व्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए। वर्तमान से अधिक गहन पूंजी अनुपात लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए। जोखिम भारण प्रणाली संशोधित की जानी चाहिए ताकि बैंकों की वास्तविक आर्थिक जोखिम प्रदर्शित हो ।
- अनिर्धारित या उच्च जोखिम क्षेत्रों को बहुत अधिक जोखिम भार दिया जाना चाहिए और/या रिज़र्व बैंक न्यूनतम पूंजी अपेक्षा के 9 प्रतिशत का स्तर बढ़ाने पर विचार करे।
- आस्ति और उपलब्ध संपार्श्विक प्रतिभूति के निरंतर वैज्ञानिक मूल्यांकन की प्रणाली स्थापित की जाए। बैंकों को हानियां तुलनपत्र में अमूर्त आस्ति के रूप में लाने की अनुमति दिए बिना हानियों का पूंजी निधि की जमानत पर निपटान करने पर विचार किया जाना चाहिए।
- विस्तारित गतिविधि, विशेष रूप से नई वित्तीय सेवाओं में, करने की गुंजाइश गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता, जोखिम प्रबंध प्रणाली और कार्मिकों से संबद्ध होनी चाहिए।
- बैंकों में जोखिम प्रबंध ढांचा और पर्यवेक्षी क्षमता को मजबूत किया जाना चाहिए।
- मात्रात्मक और गुणात्मक प्रकटीकरण के साथ बढ़ी हुई पारदर्शिता और बाजार अनुशासन बैंकों में जोखिम निवेश और जोखिम प्रबंध पर होना चाहिए।
- विनियामक विवाचन की गुंजाइश हतोत्साहित या समाप्त करने और संस्था केंद्रित विनियमन के बदले गतिविधि केंद्रित करने के लिए विनियमन को संशोधित किया जाए।

विभेदक विवेक-सम्मत व्यवस्था

- 'जटिल बैंकों', अर्थात् जो पारंपारिक बैंकिंग से अन्य क्षेत्रों में बिखरे हैं का विभेदक व्यवहार बड़े समूह /समुच्चय का भाग है; उल्लेखनीय सीमा पारीय लेनदेन करते हैं, बाजार निर्माताओं की भूमिका करते हैं; और जटिल लेनदेनों में प्रतिपक्ष हैं, क्योंकि ये बैंक विभिन्न जोखिमों की जटिलता का सामना कर रहे हैं। रिज़र्व बैंक इन बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी अनुपात बढ़ाने का विचार करे।
- बैंकों को बाजार बनाने, व्युत्पन्नों जैसे जटिल लिखतों पर कार्रवाई करने; और सीमा-पारीय उधार लेने, उधार देने और निवेश के बड़े परिचालन करने के लिए अनुमति देने के लिए रिज़र्व बैंक ने नीति की समीक्षा और संशोधन करना चाहिए।

पर्यवेक्षी प्रथाएं

- अंतरराष्ट्रीय रूप से सक्रिय वित्तीय संस्थाओं के वैश्विक समेकित पर्यवेक्षण को शामिल करने के लिए पर्यवेक्षी प्रथाएं अपनायी जाएं और विभिन्न अन्य पर्यवेक्षकों, प्राथमिक तौर पर मेजबान देश के पर्यवेक्षी प्राधिकारियों के साथ संपर्क और सूचना का आदान-प्रदान स्थापित किया जाए।
- वर्तमान पर्यवेक्षी सूचना के फार्मैट की प्रमुख प्रदेशों (जैसे यूके, यूएस और कॉटिनेंटल यूरोप) में प्रयोग किए जा रहे पर्यवेक्षी सूचना के फार्मेटों का अध्ययन करके एफसीएसी पश्चात के परिदृश्य में समीक्षा व संशोधन करने की आवश्यकता है।
- रिज़र्व बैंक में संपर्क प्रबंधकों की धारणा लागू की जाए जहां संबंधित डेस्क अधिकारी आबंटित बैंक की गतिविधियां प्रति दिन आधार पर पता करेंगे।
- चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम और मुद्रा असंतुलन, आस्ति संकेंद्रीकरण और कीमत-संवेदी आस्तियों के प्रति जोखिम संस्थाओं और देशों के प्रति वैश्विक स्तर परा होना चाहिए, अर्थात संपूर्ण बैंक स्तर पर और साथ ही बैंक समूह स्तर पर।
- बैंकों में ऑन लाइन कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी अपनाई जाए जिससे लगभग वास्तविक समय आधार पर विभिन्न महत्वपूर्ण मानदंडों के व्यापक प्रणाली समुच्चय बन सकें गे। रिज़र्व बैंक में उपर्युक्त विश्लेषणात्मक साधन के साथ मध्यवर्ती बिंदु डाटा केंद्र की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।
- रिज़र्व बैंक में विनियामक और पर्यवेक्षी कार्य कुशलता की आवश्यकता है जिसमें पर्यवेक्षी कार्य नीतिगत कार्य बल का निर्माण शामिल है जिससे उन मामलों पर शीघ्रता से कार्रवाई की जा सकेगी जो अन्यथा गंभीर स्थानीय समस्या बन सकते हैं।

होगी। इसके अलावा, कंपनियों को अपनी चलनिधि और ब्याज लागत का प्रबंध करने में अधिकाधिक नम्नीयता प्रदान करने की दृष्टि से पहले वाली 200 मिलियन अमरीकी डॉलर की पूर्व सीमा के विरुद्ध प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा 300 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के बाह्य वाणिज्यिक उधारों को चुकाने की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन बिना दी गई थी। बशर्ते उस ऋण के लिए लागू निर्दिष्ट न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि का अनुपालन किया गया।